

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय  
कोटा

विद्या परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण

(17 से 26)

(Vol. II)

## अनुक्रमणिका

बैठक सं.	दिनांक	पृष्ठ सं.
17	07/09/97	01 से 07
18	15/07/98	08 से 11
19	28/10/98	12 से 24
20	12/06/99	25 से 34
21	19/04/2000	35 से 42
22	27/11/2000	43 से 59
23	19/05/2001	60 से 70
24	28/07/2001	71 से 83
25	12/12/01	84 से 95
26	31/01/04	96 से 111

2 copy  
191  
BT

KOTA OPEN UNIVERSITY, KOTA (RAJ.)

Minutes of the 17th meeting (Emergent) of the Academic Council held on 17/9/97 at 11.30 a.m. in the V.C.Sectt.Conference Room.

The following were present :-

- |     |  |   |          |
|-----|--|---|----------|
| 1.  | Prof.B.S.Sharma,<br>Vice-Chancellor,<br>K.O.U.Kota.                    | - | Chairman |
| 2.  | Dr.Kapil Kumar,<br>Director,<br>Extn. Education,<br>IGNOU, N.Dlhi      | - | Member   |
| 3.  | Dr. Ram Mohan Verma,<br>12 Karsha Nagar<br>Defence Lab Road<br>Jodhpur | - | Member   |
| 4.  | Dr. N.S. Rame Gowda<br>IGNOU, New Delhi                                | - | Member   |
| 5.  | Prof. M.D. Agrawal<br>Prof. in Commerce<br>KOU, Kota                   | - | Member   |
| 6.  | Prof. G.S.L. Devra<br>Prof. in I.T. &C.<br>KOU, Kota                   | - | Member   |
| 7.  | Prof. P.K. Sharma<br>Prof. in Management<br>KOU, Kota                  | - | Member   |
| 8.  | Prof. P.K. Sahoo<br>Prof. in Education<br>KOU, Kota                    | - | Member   |
| 9.  | Dr.S.N. Ambedkar<br>Directr, R.C. Bikaner<br>KOU, Kota                 | - | Member   |
| 10. | Dr. Anam Jaitly<br>Asso. Prof. in Pol. Sc.<br>KOU, Kota                | - | Member   |

192  
32

11. Dr. M.K. Ghadoliya - Member  
Asso. Prof. in Economics  
KOU, Kota
12. Dr. C.B. Sharma - Member  
Asst. Prof. in English  
KOU, Kota
13. Dr. Yaqub Ali Khan - Member  
Asst. Prof. in History  
KOU, Kota
14. Dr. H.B. Nandwana - Member  
Asst. Prof. in Lib. Sc.  
KOU, Kota
15. Dr. B.K. Sharma - Member  
Asst. Prof. in History  
KOU, Kota
16. Sh. M.C. Sharma - Member Secretary  
Registrar & Member Secretary  
KOU, Kota

Dr. V.D. Nagar, Prof. in Economics (Retd.), Indore, Prof. S.N. Dube, Director(S&T), KOU, Kota, Prof. L.N. Gupta, Prof. in Economics, KOU, Kota, Dr. R.C. Meena, Director, Regional Centre, Jodhpur, Dr. R.K. Jain, Associate Prof. in Journalism could not attend the meeting.

At the outset while welcoming the members the Chairman mentioned that Dr. N.S. Rame Gowda, Director, Regional Services, IGNOU, has been nominated by the INGOU as a new Member of A.C. in place of Dr. P.K. Mehta. Who has since joined Baba Saheb Ambedkar University, Ahmedabad. The Chairman mentioned that Dr. Rame Gowda has been in IGNOU since its inception and has vast experience of Distance Education. Dr. Rame Gowda is from Karnataka Education Services and thus possesses considerable experience of Conventional Universities. As such KOU looks ahead for immense benefit from him as member of Academic Council.

193  
33

Thereafter

~~Therefore~~ taking up the Agenda Item the Chairman informed the Council members that KOU had been offering B.Ed. programme since 1989 and there had been no problem as it, in-terms of Act, had been following the guidelines of IGNOU, DEC. It was only recently the NCTE raised a question of recognition of B.Ed. Colleges and insisted upon the KOU to get recognition from NCTE. The University maintained that the KOU is an open university established under an Act of State Legislature and has the power to award its own degree etc. and since it is on distance mode university, its act provides that it shall associate and follow the guidelines of Distance Education Council (DEC). The BOM of KOU also deliberated on it and to sort out the situation. University took up the matter with DEC which in turn sought intervention of Ministry of Human Resource Development, New Delhi. The vigorous effort in this direction culminated into the appointment of a Joint Committee consisting of Chairpersons of UGC, DEC and NCTE under UGC Chairperson as the Chairman. This Joint Committee further constituted a Joint team to study the problems of B.Ed. education through open universities. This Committee visited KOU and other Open Universities and submitted its recommendations. The recommendations were accepted by the Joint Committee on 31.07.97. The Chairman informed the members that during his meeting with the Chairman, DEC-IGNOU, it was mentioned that recommendations of the Joint Committee have to be adopted by the KOU and compliance be made.

Report

After introductory remarks of the Chairman, the Council members perused the agenda papers containing recommendations of the Joint Committee finalised on 31-07-97, the proposed recommendation-compliance and other aspects of ...da consideration. The members expressed their appreciation for the

194  
34

Joint Consultative Committee for their qualitative approach on the recommendations for B.Ed. programme through Open Universities. It was unanimously resolved that :-

(i) The recommendations of the Joint Committee for B.Ed. programme be adopted and <sup>implemented</sup> in the future operations of B.Ed. programme of KOU.

(ii) These recommendations and the compliance report (recommendation-wise) placed for consideration is approved and adopted for implementation with the proviso, as given below, in relation to recommendations No. 10 and 11 of the Joints Committee.

(a) Recommendation No. 10 : Parity in fee structure.

As regards "Fee Structure" under item No. 10 of the recommendations, the members endorsed the proposed principle and fee structure in the compliance report which as under :-

Looking to the typical conditions in the state of Rajasthan and economic conditions of the clientele, the university has not followed parity principle with the conventional B.Ed. programmes. Vide State Govt. Letter No. 12/2/Edu./ T/ 95/Part-T dated 1.9.97 the total fee for conventional B.Ed. inclusive of all charges is 8,500/- per student per year excluding examination fee and entrance test. In view of the principle

195  
35

followed by KOU, the university wants to follow the following fee structure.

1. Rs. 3400/- per student per year x 2 = Rs.6800/-total tuition fee for two years.
2. The examination fee will be Rs. 300/- per year x 2 = Rs. 600/-total for two years.
3. Entrance test fee Rs. 250/- per student once in two years.
4. Application form, registration etc. fee Rs. 150/- once in two years. In the first year the student at the time of confirmation of admission will pay Rs. 3700/- fee including examination fee while the entrance test fee plus application form etc. amounting to Rs.400/- will be paid along-with the application form.

In the second year after declaration of results of first year the students will have to pay again Rs. 3700/- fee including 2nd year examination fee. Further in addition to above every student will pay Rs. 5/- development fee per month for first year and second year i.e. Rs. 60/- every year alongwith other dues.

The members felt that, the above is necessary because of conventions prevailing in the University. The members also urged the Vice Chancellor that he should bring the above to the notice of DEC/Joint Committee and request them to allow the same.

(b) Recommendation No. 11 : Staffing Pattern.

The council agreed in principle for this recommendation. However, it felt that in its implementation, a more practical view needs to be taken so that trivialities in legal terms may not stand in the way of the University. Also, the Council emphasized that in state universities, process of creation of posts has also to be kept in view along with the work load requirements of the programme. The members felt that in the open system, full-time or otherwise staff requirement will be much more during course development than the requirements when the programme requires only maintenance. The more practical course of action would be to keep full time permanent staff equal to the requirements of maintenance stage and rest may be in the form of tennurial appointments, visiting faculty on regular basis or full time consultants.



Currently there exist one Professor, One Reader and two lecturers in the department of education. During 9th Five year plan the state Govt. seemingly may make three (one reader and two lecturers) posts available in education. In view of meeting the requirement of 10 faculty positions three more lecturers posts are to be created. In this context the state Govt. will be requested by the university to sanction 3 additional lecturers posts to education subject during 9th five year plan. For the time being the university will recruit consultants / visiting teachers to strengthen the activities in education department.

The Council further directed that the above proviso in relation to recommendation 10 & 11 be incorporated in compliance report so that the consolidated & as fully approved compliance is sent to Chairman Joint Committee / Distance Education Council for favourable consideration and action.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

*[Handwritten Signature]*

MEMBER SECRETARY

*For kind perusal and approval pl.*  
*[Handwritten Signature]*  
*12/9/97*  
*Han. v.c.*  
*yes*  
*[Handwritten Signature]*

18th Dec

Minutes of the 18th meeting of Academic Council (Special) held on 15/7/1998 at 11.00 a.m. in the Vice-Chancellor's Secretariat Meeting Hall, Kota Open University, Kota.

The following were present in the meeting:-

- |    |  |   |                             |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | Prof. B.S. Sharma,<br>Vice-Chancellor,<br>K.O.U.,                                      | - | Chairman                    |
| 2. | Dr. N.S. Rame Gawda,<br>IGNOU,<br>New Delhi,   | - | Member                      |
| 3. | Dr. R.H. Varma,<br>Retd. Asso. Professor,<br>Jodhpur,                                  | - | - do -                      |
| 4. | Prof. H.D. Agrawal,<br>Prof. in Commerce,<br>K.O.U.,<br>Kota,                          | - | - do -                      |
| 5. | Prof. G.S.L. Devra,<br>Prof. in Indian Tradition &<br>Culture,<br>K.O.U.,<br>Kota,     | - | - do -                      |
| 6. | Prof. P.K. Sharma,<br>Prof. in Management/<br>Director (S&T/R.S.),<br>K.O.U.,<br>Kota, | - | Member &<br>Special Invitee |
| 7. | Prof. L.N. Gupta,<br>Prof. in Economics/<br>Director (Academic),<br>K.O.U.,<br>Kota,   | - | Member                      |
| 8. | Prof. P.K. Sahoo,<br>Prof. in Education,<br>K.O.U.,<br>Kota,                           | - | - do -                      |
| 9. | Dr. S.H. Ambedkar,<br>Director,<br>Regional Centre,<br>K.O.U. BIKANER,                 | - | - do -                      |

- 10. Dr. (Smt.) Sushma Singhvi.  
Director.  
Regional Centre.  
K.O.U., UDAIPUR. - do -
- 11. Dr. M.K. Ghadollia.  
Asso. Prof. in Economics.  
K.O.U.,  
Kota. - do -
- 12. Dr. Anam Jaitly.  
Asso. Professor in Pol. Sci.  
KOU, Kota. - do -
- 13. Dr. B.K. Sharma.  
Asso. Professor in History.  
KOU, Kota. - do -
- 14. Dr. Yaqub Ali Khan.  
Asstt. Prof. in History.  
KOU, Kota. - do -
- 15. Dr. G.B. Sharma.  
Asstt. Prof. in English.  
KOU, Kota. - do -
- 16. Dr. R.K. Jain.  
Asso. Prof. in Journalism.  
KOU, Kota. - do -
- 17. Dr. H.B. Handawana.  
Asstt. Prof. in Lib. Sc.  
KOU, Kota. - do -
- 18. Prof. B.L. Bathur.  
Principal.  
Engg. College.  
Kota. - Special Invitee.
- 19. Dr. K.K. Rai.  
Controller of Exams.  
KOU, Kota. - Special Invitee.
- 20. Shri H.C. Sharma.  
Registrar.  
KOU, Kota. - Member-Secretary.

Prof. V.D. Nagan (Indore), Dr. Kapil Kumar (New Delhi) and Director (College Education) Govt. of Raj., Jaipur, could not attend the meeting.

~~28~~

At the outset the Chairman welcomed the members of the Academic Council. He informed the members that because of some procedural reasons it was not possible to send the agenda papers of this meeting earlier. The main reason for this was that this special meeting was proposed to be held to consider the recommendations of the Planning Board with regard to launching of Technology Courses. The meeting of the Planning Board could take place only on 13/7/'98, as such the agenda could not be sent earlier to the members of the Academic Council.

The Chairman then informed the members that this meeting is a historical one and it has a special significance, particularly keeping in view the IXth Five Year Plan proposals of the University which were prepared and finalised earlier to launch technology courses. The Chairman mentioned that because of launching technology courses the University, by the end of IXth Five Year Plan, will be noted for its Professional Degrees, including Technical Degrees. The Chairman informed the members that the Expert Group to finalise the course structure and detailed syllabus of the proposed technology courses, was constituted which consisted the members from I.I.T., New Delhi, IGNOU and Engineering Colleges of the State. The recommendations of the Expert Group were then put up before the Planning Board in its 5th meeting held on 13/7/'98. After this introductory remarks of the Chairman, the Council took up the agenda of the meeting as under:-

*Where is report*

To consider and approve the minutes of the 5th meeting of Planning Board held on 13/7/'98 regarding launching of Technology Courses in Kota Open University and to approve the syllabus and system of Technology Courses to be launched in Kota Open University as per ANNEXURE-D:-

The Council unanimously approved the minutes of the Planning Board for launching Technology Courses in Kota Open University as per ANNEXURE-D.

The Chairman also informed the members that the University has also planned to launch Diploma Course in Culture & Tourism in Rajasthan, i.e. D.C.C.T. which is of 36 credits. The Vice-Chancellor informed the members that this will be done under his powers under Section 8(4) of the Kota Open University Act, 1987.

The Vice-Chancellor, having his last meeting, put on record his sincere gratitude to the members of the Academic Council for their most willing support and co-operation and all efforts to help him to function smoothly for the last three and a half years. He sincerely thanked the members of the Academic Council.

Dr. Bame Gawda and Dr. R.H. Verma praised the contribution of the Vice-Chancellor, Prof. B.S. Sharma for the progress and achievements of the University under the leadership of Prof. B.S. Sharma during his tenure of three and a half years.

~~29~~  
/

10

201

As the senior most Professor, Prof. M.D. Agrawal also put on record his appreciation of the V.C. for his contribution in the progress and achievement of the University. He mentioned that during the tenure of Vice-Chancellor, Prof. B.S. Sharma, lot of buildings were completed and new programmes were launched, and also Audio-Video studio has been established and thus great infrastructural and total development took place.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

sd

(M.C. SHARMA)  
Registrar & Member-Secretary.

~~30~~

11

KOTA OPEN UNIVERSITY, KOTA

308 305.  
308

Minutes of the 19th meeting of the Academic Council held on 28/10/98 at 11.a.m. in the Vice-Chancellor's Secretariat Meeting Hall, Kota Open University, Kota.

The following were present:-

- |     |   |   |          |
|-----|---|---|----------|
| 1.  | Prof. B.S. Sharma,<br>Vice-Chancellor,<br>KOU, Kota.                            | : | Chairman |
| 2.  | Shri Navrang Lal,<br>Director (College Edu.),<br>JAIPUR.                        | : |          |
| 3.  | Dr. N.S. Ramagoda,<br>Director (R.S.),<br>IGNOU, New Delhi.                     | : | Member   |
| 4.  | Dr. S.N. Ambedkar,<br>Director (R.C.)<br>KOU, Bikaner.                          | : | - do -   |
| 5.  | Dr. (Mrs.) Sushma Singhvi,<br>Director (R.C.)<br>Udaipur                        | : | - do -   |
| 6.  | Prof. M.D. Agrawal,<br>Prof. in Commerce,<br>KOU, Kota.                         | : | - do -   |
| 7.  | Prof. G.S.L. Devra,<br>Prof. in I.T. & C.,<br>KOU, Kota.                        | : | - do -   |
| 8.  | prof. P.K. Sharma,<br>Prof. in Management,<br>KOU, Kota.                        | : | - do -   |
| 9.  | Prof. L.N. Gupta,<br>Prof. in Economics &<br>Director (Academic),<br>KOU, Kota. | : | - do -   |
| 10. | Prof. P.K. Sahoo,<br>Prof. in Education,<br>KOU, Kota                           | : | - do -   |
| 11. | Dr. M.K. Ghadoliya,<br>Asso. Prof. in Economics,<br>KOU, Kota.                  | : | - do -   |
| 12. | Dr. Sudhir Kher,<br>Asstt. Prof. in Law,<br>KOU, Kota.                          | : | - do -   |

306.  
309
13. Dr. Yakub Ali Khan,  
Asstt. Prof. in History,  
KOU, Kota. : - do -
  14. Dr. R.K. Jain,  
Asso. Prof. in Journalism,  
KOU, Kota. : - do -
  15. Dr. H.B. Nandawana,  
Asstt. Prof. in Lib. Sc.,  
KOU, Kota. : - do -
  16. Dr. B.K. Sharma,  
Asso. Prof. in History,  
KOU, Kota. : - do -
  17. Dr. S.K. Verma,  
Retd. Principal,  
Govt. College, Kota. : Special Invitee
  18. Dr. G.K. Sharma,  
Retd. Asso. Professor,  
Sukhadia University,  
Udaipur. : - do -
  19. Dr. K.K. Rai,  
Controller of Exams.,  
KOU, Kota : - do -
  20. Shri J.M. Bhatnagar,  
OSD (D&C),  
KOU, Kota : - do -
  21. Dr. R.C. Meena,  
Director (R.C.),  
KOU, Jopdhpur. : - do -
  22. Shri M.C. Sharma,  
Registrar,  
KOU, Kota. : Member-Secretary.

Dr. Anam Jaitly (Member) Dr. R.V. Vyas & Dr. Ram Mohan Verma (Spl. Invitees) could not attend the meeting.

At the outset the Chairman welcomed the members with "Deepawali Greetings." The Chairman then informed the members that on 6th Sept. 1998 the term of the following three co-opted members who were members of the Academic Council as Eminent Educationists under the Provision of Clause 8(1)(f) of KOU Act, 1987, has expired:-

1. Dr. R.M. Verma (2) Dr. Kapil Kumar (3) Prof. V.D. Nagar

The Chairman also informed that in order to have valuable guidance from some eminent educationists he has invited the following three Special Invitees to this meeting:-

- 1) Dr. S.K. Verma (2) Dr. G.K. Sharma. (3) Dr. Ram Mohan Verma.

The Chairman then informed the members about the controversy regarding recognition of B.Ed. Programme by the

310

307

N.C.T.E. He informed the members that as per the KOU Act, 1987, which has been passed by the State Legislature, the University is empowered to award Degrees under Section 4(vi). But in 1997, the N.C.T.E. questioned the authority of the University to award B.Ed. Degrees and they compelled that KOU should get recognition of their B.Ed. Degree from N.C.T.E. The KOU is based on Distance Learning System and as such it follows the pattern of IGNOU. So, the University contacted the Distance Education Council (DEC) in this behalf and as advised by them that Open Universities do not come under the purview of N.C.T.E. and the DEC asked us to send reply to N.C.T.E. and accordingly the N.C.T.E. was informed. Thereafter a joint Committee consisting of UGC, N.C.T.E. & DEC was constituted under the Chairperson of UGC. This Committee visited the KOU and the Committee was provided with all the relevant required information and the Committee opined that the course and syllabus of KOU is of high standard in comparison to other Universities and the Committee gave its recommendations. The Chairperson of UGC informed us to act as per the recommendations of the Committee. After waiting for about one year we announced admission in B.Ed. The N.C.T.E. came against this admission and issued advertisement against KOU. We then contacted DEC; but, the DEC, however, turned back from its previous stand and advised us to apply for recognition of B.Ed. to N.C.T.E. The University has, therefore, applied to N.C.T.E. in Sept. 1998 and deposited the requisite fee. The matter is under process and it is hoped that recognition will be granted by the N.C.T.E.

What happens?

The Chairman further informed the members that in pursuance of the A.C.'s decision for B.Tech. programme, the University has now launched B.Tech. Programme in Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical & Electronic Engg. and Electronic & Communication Engg. Process of admission in these courses is going-on. The Chairman pointed out that the University has decided to apply for recognition of B.Tech. courses to All India Council of Technical Education (AICTE). He also pointed out that recognition from AICTE is also required for Computer Programmes & Management Programmes. Therefore, the University will have to apply for recognition of these courses also. With regard to B.Tech. courses, the Chairman informed the members that the University has borrowed these courses from IGNOU, N.Delhi and JNTU, Hyderabad. Therefore, the University will apply for recognition to AICTE mentioning that these courses are borrowed from IGNOU and JNTU. The Chairman also mentioned that in this regard he had talked to V.C., IGNOU and he was informed by the V.C. IGNOU that so far they have not applied for recognition of technical courses to AICTE. However, the KOU has made-up its mind to apply for recognition of B.Tech. and other technical courses to AICTE to avoid any controversy like B.Ed. programme.

The Chairman also informed the members that in the Vice-Chancellor's Co-Ordination Committee Meeting held on 08/10/98 a decision has already been taken that the Degrees awarded by the Universities of the Rajasthan State including Kota Open University will be recognised by the Universities of the state and treated at par with the relevant degrees/programmes. The Chairman, therefore, requested the Director (College Edu.), who was luckily present in the meeting, to issue the Govt. Order in this behalf to all Universities of the State.



B11 308

The Chairman also informed the members that though the University has not received the grant for construction of library building, the MPD block which has been constructed and which is near completion and it is proposed to shift the Library in one of the halls of MPD block. Efforts will be made to get the grant for library building and start construction as soon as the grant is available.

He also informed the members that session and calendar in all other Universities is likely to be disturbed because of delayed results. In our case the members were informed that KOU is doing its best stick to its schedule.

After the above introductory observations the Chairman took up the agenda itemwise and the following decisions were taken:-

Item No. 12/1.

To confirm the minutes of 16th meeting of Academic Council held on 8/7/97 and 17th & 18th meeting (emergent) of Academic Council held on 17/9/97 and 15/7/98.

The minutes of the 16th meeting of Academic Council held on 08/7/97 and the 17th & 18th meeting (emergent) held on 17/9/97 and 15/7/98 were confirmed.

Item No. 12/2

To peruse action taken report for the decisions of 16th meeting of Academic Council held on 08/7/97 and 18th meeting (emergent) of A.C. held on 15/7/98:-.

The members noted the action taken report for the decisions of the 16th meeting of Academic Council held on 08/7/97 and 18th meeting (emergent) held on 15/7/98.

Item No. 12/3

To consider & co-opt three members at Academic Council under clause 8(1)(f) against the eminent educationists quota whose term expired on 06/9/98:-

The Academic Council unanimously authorised the Vice-Chancellor to nominate three eminent educationists as co-opted members at the Academic Council after obtaining their consent.

~~6~~

(312) 309

Item No. 19/4

next agenda

To peruse and approve the panel of experts in various subjects : Political Science, Computer Science, Library Science, History, Food & Nutrition, Economics, Management, Indian Culture & Tradition, Journalism, Public Administration, Law, Education, Hindi, English, Engineering:-

The number of panel of experts in the subjects Pol. Sc., Computer Sc., Lib. Sc., History Food & Nutrition, Economics, Management, Indian Culture & Tradition, Journalism, Pub. Adm., Law, Education, Hindi, English and Engineering were read out and shown to the members. The same were approved.

Item No. 19/5

order amp

To report the decision taken by the Hon!ble Vice-Chancellor regarding B.Ed. course to the in-service teachers who possess three years teaching experience prior to obtaining their graduation degree if they entered in service after passing STC:-

The members noted the decision by the Hon!ble Vice-Chancellor with regard to admission in B.Ed. course to the in-service teachers who possess three years teaching experience prior to obtaining their graduation degree if they entered in service after passing STC, and confirmed the same.

Item No. 19/6

h

To report the decision taken by the Hon!ble V.C. regarding admission criteria in B.A./B.Com. as per IGNOU pattern:-

The decision of the Hon!ble V.C. with regard to admission criteria in B.A./B.Com. as per the IGNOU pattern is noted and confirmed.

~~9~~

313  
310

Item No. 12/7

order

To report the decision taken by the Hon!ble V.C. with regard to levying Rs.200/- per subject from the students of B.A./B.Com. and B.Ed. who makes a request for the change of subjects:-

The decision of the Hon!ble V.C. with regard to levying Rs.200/- per subject from the students of B.A./B.Com. and B.Ed. who makes a request for the change of subjects is noted and confirmed.

Item No. 12/8

To report the matter of introduction of IX paper in the final year M.A. programme in Economics, History and Pol.Sc.:-

The introduction of IX paper in M.A. (F) programme in Economics, History and Pol. Sc. was approved & confirmed.

Item No. 12/9-

To report the matter of nomenclature of Diploma in Labour Law as P.G. Diploma:-

After detailed deliberations it was resolved that nomenclature of D.L.L. be changed as P.G. Dip. in Labour Law.

Item No. 19/10:-

To consider & approve relaxation in fee in B.Ed. programme and other programmes to the physically handicapped students:-

In the absence of necessary information which are to be obtained from the Govt., the matter was deferred for the next meeting.

314  
3H

Item No. 19/11:-  
-----

To consider and approve the minutes of the Course Devpt. Committee Meeting in Lib. & Information Sc. held on 04/7/97:-

The minutes of the meeting of Course Devpt. Committee in Lib. & Information Sc. held on 04/7/97 were confirmed.

Item No. 19/12:-  
-----

To consider & approve the request of the Rajasthan Sindhi Akademi, Jaipur to start UG/PG course in Sindhi:-

After detailed deliberations, it was decided that the request of Rajasthan Sindhi Akademi, Jaipur with regard to only UG course be accepted in principle subject to sanction of teaching post by the Government.

Item No. 19/13

To consider and approve the inclusion of Urdu as one of the subjects in B.A. programme of the University:-

It was decided that Urdu be introduced as one of the subjects in B.A. programme of the University provided the syllabus and course as available with IGNOU, New Delhi and JNTU, Hyderabad, is available.

Item No. 19/14:-

To consider & approve the additional ammended minimum qualification for the admission in D.N.H.E. programme as per IGNOU.

It was decided that the minimum qualification for admission in D.N.H.E. programme should be as per IGNOU which is as under:-

The student who passed 10 + 2 OR

11 + 1 (B.A./B.Com./B.Sc. Ist Yr.)

19-

Item No. 12/15:-

To report the decisions of UGC regarding recognition of one sitting M.A./M.Sc./M/Com. Degree:-

The decision of the UGC with regard to recognition of one sitting M.A./M/Sc./M.Com. Degree was noted & confirmed.

Item No. 12/16

order  
2/10

To consider and approve the recommendation of the Committee regarding minimum/maximum chances/attempts for term end examination to a student to complete the particular programme within the prescribed time limit:-

The recommendation of the Committee regarding minimum/maximum chances/attempts for term end examination to a student to complete the particular programme within the prescribed time limit was approved.

Item No. 12/17

order

To consider & approve the matter of inclusion of mother's name in application forms/degrees/certificates as per the instruction from UGC:-

It was decided that as per the UGC guidelines vide their Lr.No. F1(38)/97CCP-(II) dt: 18/4/98, inclusion of mother's name alongwith father's name be included in all the application forms/degrees/certificates issued by the University.

Item No. 19/18:-

order

To consider & approve the scheme of examination of M/A. programme:-

The scheme of examination of M.A. programme was perused and it was decided that students be permitted to club backlog papers with final year papers for examination purpose. But they will not be allowed to appear in more than eight papers at a time i.e. if a student having left three papers in M.A. (Prev.) examination and clears the same alongwith Final Yr. papers, will be allowed to complete M.A. in two years. The same also can be said in different manner, i.e. if a student fails to clear even one paper in M.A. (Prev.) exam. he would be perforce required to take more than two years to complete his/her M.A. programme.

Item No. 19/19:-

To consider & approve the matter of borrowing Certificate in Computing Programme (CIC) from IGNOU:-

The proposals to borrow the CIC programme from IGNOU were approved.

Item No. 19/22:-

order

To consider & approve the matter of levying the postage charges (by Regd. AD) from the students for sending the Degrees at new address whose degrees have been returned back due to change of address:-

It was decided that the minimum postage charges for sending forms, etc. by registered post be levied as 40 rupees per student.

Item No. 19/21:-

To report the decision of not taking entrance test fee from the students of M.Ed. as per previous decision of A.C. regarding not conducting entrance test:-

It was decided that since the University will not conduct entrance test for M.Ed., fee of Rs.150/- for entrance test for M.Ed. will not be charged and the Orders of Hon'ble V.C. fee of Rs.7400/- for the whole course of M.Ed. programme were confirmed.

Item No. 19/22 :-

order

To report the system of levying Rs.100/- as application fee from the students applying first time and Rs.25/- from the students internally promoted for registration:-

The system of levying Rs.100/- as application fee from the students applying first time and Rs.25/- from the students internally promoted for registration was noted.

Item No. 19/23 :-

317 314

To report the matter for allowing the students of M.Ed. to choose "Dissertation" who secures 50% marks and above in B.Ed.:-

The matter of allowing the students of M.ed. to choose "Dissertation" who secures 50% marks and above in B.Ed. was approved.

Item No. 19/24:-

To consider and approve the change in the minimum qualification for admission to BJMC programme as graduate instead of non-graduate:-

The matter was deferred for the next meeting.

Item No. 12/25:-

To consider & approve the system of depositing fees for M.Ed. programme 1998:-

The system of depositing fees for M.Ed. programme 1998 as under was approved:

- |                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| 1) Registration fee  | Rs. 150/- | (alongwith application form)                      |
| 2) First instalment  | Rs.4000/- | (after being found eligible for admission)        |
| 3) Second instalment | Rs.3250/- | (after two months of depositing first instalment) |

Total:-

Rs.7400/-  
=====

Item No. 19/26:-

To peruse the minutes of the Course Revision Committee meeting held on 22/11/97 & 23/11/97 for B.Ed. revised curriculum:-

The minutes of the Course Revision Committee meeting held on 22/11/97 & 23/11/97 for B.Ed. revised curriculum were approved.

~~19~~

21

318 - 315

27:-

consider and decide the date to be written on Degrees/Diploma/Certificates which are to be awarded to the successful candidates in different courses after December, 1994 and then their despatch to the concerned students so as to avoid piling up of Degrees, etc.:-

*Sup  
order*

It was decided that the date of award of Degrees to the students who have successfully completed the KOU courses be awarded and the date of award of degree be mentioned as per the grace passed by the A.C. in its earlier meeting.

Further, the importance and sanctity of holding of convocation was highlighted and it was felt that it for sufficient reasons holding of convocation is not feasible, the Vice-Chancellor may move a proposal and after obtaining B.O.M.'s approval order distribution of degrees as per the grace passed by the Academic-Council. In such a case the date on which the B.O.M. approves the proposal of the Vice-Chancellor shall be mentioned on the degrees.

Item No. 19/28:-

To peruse & approve the decision taken with regard to the system of admission in CCP programme twice in a year, i.e. in January and July:-

The orders of the Hon!ble V.C. with regard to the system of admission in CCP twice in a year, i.e. in January and July were confirmed.

Item No. 12/22:-

To consider and approve introduction of system of examination once in a year during summer vacations (except the programmes of 6, 6 months! duration):-

The matter was deferred for the next meeting.

Item No. 19/30:-

To peruse the decision taken regarding re-scheduling present practice of admission in DLS programme from July instead of January:-

The matter was deferred for the next meeting.



Item No. 19/31:-

319 316

To peruse the decision with regard to minimum qualification for P.G.D.L.L. programme, i.e. non-graduates with six years managerial / supervisory experience will not be eligible:-

It was decided that the department should review and re-examine the proposal.

Item No. 19/32:-

To report the decision with regard to M.A. Final (History) course/papers in coming session:-

The decisions taken by the Hon!ble V.C. with regard to M.A.(F) History course were perused. However, it was decided that the same be got re-examined by the Subject Head.

Item No. 19/33

To consider & approve the minutes of M.Ed. Dissertation Evaluation Committee meeting:-

The minutes of the meeting of M.Ed. Dissertation Evaluation Committee were perused by the members and it was decided that the same be got re-examined & re-looked and in order to maintain uniformity with other University programmes, this proposal be revised.

Item No. 19/34

To consider & approve the minutes of Course Devpt. Committee for Indian Tradition & Culture:-

The minutes of the Course Devpt. Committee for Indian Tradition & Culture were perused and the same were approved.

~~14~~

320 317

After decision on the above agenda items, the Chairman informed the members that the University has so far not published comprehensive consolidated booklet with regard to information of all programmes conducted by the University. It was, therefore, decided that the same be published which should contain information regarding admission in various courses, syllabi of various courses and other information related to admission and examination.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

sd/-

(M.C. SHARMA)

Registrar & Member-Secretary

465

KOTA OPEN UNIVERSITY:KOTA

Minutes of the 20th meeting of Academic Council held on 12/6/99 at 9.30 A.M in the Vice-Chancellor's Secretariat meeting hall, Kota Open University, Kota.

The following were present:-

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 01. Dr. R.V. Vyas<br>Vice-Chancellor<br>KOU, Kota.          | - | Chairman |
| 02. Dr. S.N. Ambedkar<br>Director<br>R.C, Bikaner           | - | Member   |
| 03. Prof. Lal Bahadur<br>Director (College Edu.))<br>Jaipur | - | Member   |
| 04. Prof. P.K. Sharma<br>Prof. in Management<br>KOU, Kota.  | - | Member   |
| 05. Prof. L.N. Gupta<br>Prof. in Economics<br>KOU, Kota     | - | Member   |
| 06. Prof. P.K. Sahoo<br>Prof. in Education                  | - | Member   |
| 07. Dr. Sudhir Kher<br>Asstt. Prof. in Law                  | - | Member   |
| 08. Dr. Dinesh Gupta<br>Asstt. Prof. in Lib. Sc.            | - | Member   |
| 09. Dr. H.B. Nandwana<br>Asstt. Prof. in Lib. Sc.           | - | Member   |
| 10. Dr. Anam Jaitly<br>Associate Prof. in Pol. Sc.          | - | Member   |
| 11. Dr. M.K. Ghadolia<br>Associate Prof. in Economics       | - | Member   |
| 12. Dr. M.L. Gupta<br>Asstt. Prof. in Education             | - | Member   |
| 13. Dr. R.K. Jain<br>Associate Prof. Journalism             | - | Member   |

(2)

- 14. Dr. S.K. Verma - Member  
Retired Principal, Govt. College, Kota
- 15. Dr. G.K. Sharma - Member  
Retired Professor
- 16. Dr. Ram Mohan Verma - Member  
Retired Associate Prof.
- 17. Shri S.K. Srivastava - Member Secretary  
Registrar, KOU

The following members could not attend the meeting:

- 1. Prof. M.D. Agarwal
- 2. Prof. G.S.L Devra
- 3. Dr. N.S. Ramegowda
- 4. Dr. B.K. Sharma
- 5. Dr. (Mrs.) Sushma Singhvi

The following special invitees attended the meeting:

- 1. Shri P.N. Sharma - Special Invitee  
Finance Officer
- 2. Shri H.L. Dhakar - Special Invitee  
Controller of Exam.

The following special invitee could not attend the meeting:

- 1. Shri Yogesh Sharma

At the outset Hon'ble Vice-Chancellor & Chairman, Academic Council extended hearty welcome to all the members of the Council especially the external members.

The house also welcomed Dr.R.V.Vyas as new Chairman of the Academic Council.

1. The Chairman proposed a vote of thanks for Prof. B.S. Sharma who retired after completing a four year's tenure as Vice-Chancellor on 5th February, 1999. The house joined the Chairman in recording the appreciation for invaluable services rendered by Prof. B.S. Sharma.

(3)

2. At the outset one of the members raised the point that as per the KOU Act there is no provision for special invitee hence no special invitee should be invited to A.C Meeting. The Chairman agreed with the provision of Act but clarified that there is a practice of inviting special invitees in this very university. Further the Chairman requires support of some of the university officers in clarifying various intricate issues likely to figure in discussions. Hence some people have to be there to assist the Chairman. It was finally agreed that the special invitees were not be shown alongwith the regular members of the Academic Council.

3. The Chairman briefly apprised the developments that have taken place since the retirement of Prof. B.S. Sharma:

(i) University has received all its 4 instalments of grant in last financial year especially 3rd & 4th instalment totaling to Rs. 1.70 crores.

(ii) The gradual decline in the enrollment in the students is a very unhealthy sign for the university. On behalf of KOU we have requested State Govt. to discontinue with the practice of non-collegiate students in a phased manner so that KOU can have sufficient enrollment.

(iii) The Chairman appealed the faculty members to develop need based courses & revise the existing courses to make them more attractive to the students.

Thereafter the regular agenda items were taken up for discussion as per the details given below:

Item No. 20/1 : Confirmation of the minutes of the meeting of A.C held on 28/10/98.

The minutes of the 19th meeting of the Academic Council held on 28/10/98 were confirmed.

Item No. 20/2 : To peruse action taken report for decisions of 19th meeting of A.C held on 28/10/98.

The members noted the action taken report for the decisions of the 19th meeting of the Academic Council held on 28/10/98.

(4)

## Item No. 20/3 Recognition of Academic Programmes

- (a) Recognition of B.Ed. Programme
- (b) Recognition of M.Ed. Programme
- (c) Recognition of B.Tech. Programme

(a): The Chairman apprised the house that Govt. of Rajasthan has already given recognition to batch 94-95. further we have requested the state Govt. for recognizing 95-96 batch for the purpose of service in Rajasthan. As per our information the recognition issue will be sorted out very soon.

The university has also admitted two batches after 95-96, NCTE is unwilling to recognise these two batches. NCTE is insisting that the fee for these two batches have to be refunded to the students otherwise recognition issue will not be taken up. The issue of refund of fees pertains to F.C. Hence it was not debated in the A.C.

The Chairman apprised about the visit of the Joint Committee at Kota on 13th May, 1999 and Jaipur on 14th May, 1999. KOU explained its progress comprehensively. At Jaipur the committee discussed the matter of creation of additional five posts and the number of students to be admitted. We hope that with the favourable response from Govt. the recognition issue will be sorted out.

## Item No. 20/3(b):

The Chairman informed the house about seeking a letter from NCTE regarding the recognition of M.Ed. programme. We have been advised not to undertake admission in the next academic session without the recognition from NCTE.

Education Deptt., KOU has procured the application form for seeking recognition for M.Ed. programme and the same is under study soon. we shall make formal application for recognition to NCTE.

(5)

Item No. 20/3(c):

We have already applied for recognition of B.Tech. programme. It was informed that the Chairman has personally contacted AICTE's officials for an early decision. Both GOR & DEC are also taking up the matter with the AICTE.

It was resolved that without the AICTE approval the B.Tech. programme should not be launched.

Item No.20/4(i)

To consider & approve the proposal of issuing of Duplicate Diploma/Degree/Certificate for the students who have lost their originals.

*order*

The A.C approved the proposal as well as the format for issuing Duplicate Degrees/Diploma/Certificate.

Item No.20/4(ii)

To consider and approve the the recommendation of the committee with regard to restrict the candidates to appear upto 32 credits in the B.A/B.Com. programme in one examination in place of 48 credits.

*order*

The A.C has approved the recommendations of the Committee.

(iii)

To approve the report regarding proposal to opt for marks in letter grade in DCO course from Dec. 1997 batch examination instead of point grade.

*order*

The A.C approved the report.

(iv)

To approve the recommendation of the committee to prepare break-up of 16 credits in 3 papers of CFN programme.

*order*

The Council approved the recommendations of the Committee for the setup of the Credits for DFN programme.

contd.....6

(6)

*Orders*

- (v) To approve the enhancement in course fee & examination fee in various programmes.

The Council has approved the proposals of enhancement of the course fee & examination fee in various programmes.

- (vi) To approve matter of remuneration rates for assessing Project Report IV paper of DNHE at par with THM & BJMC course.

The A.C referred the matter again to the committee for considering the payment of Rs. 50/- (fifty) as the minimum charges for assessing the project report for DNHE. The Vice-Chancellor was authorised to issue orders as per the recommendation of the committee.

3

- (vii) To approve enhancement of fee for Duplicate Marksheet/Provisional Certificate/ Migration Certificate.

The Council approved the enhancement of fee for issuing Duplicate Mark-sheet/Provisional Certificate/Migration Certificate.

*Orders*  
*20/5*  
*20/5*  
*20/5*

- Item No.20/5(i) To peruse and approve re-organization of Regional Centres and Study Centres.

The Academic Council approved the proposal for re-organization of study centres as proposed by the Regional Services.

9

- (ii) To peruse & approve the proposal to set-up three new study centres in current financial year.

The A.C advised that the study centres should be opened up after ascertaining the likely intake of students so that study centres do not become financially non-viable.

- (iii) To peruse the upto date list of study centres existing at present.

The list of study centres was perused with satisfaction.

contd.....7



(7)

- (iv) To consider & approve the minutes of the meeting regarding teleconferencing held on 20/3/99.

Minutes of the Teleconferencing Committee were approved. The suggestions of Dr. S.K. Verma for immediately implementing the scheme was supported by all the members.

- Item No.20/6(i) To consider and approve the new research ordinance.

The A.C suggested that there should be a thorough discussion on the Research Ordinance in the faculty at large in the perspective of the practices prevalent in the other universities of Rajasthan.

- (ii) To peruse the progress report of programmes under preparation.

One of the members made an observation that before any course is being launched three conditions must be observed (i) Status of the faculty (ii) Feasibility of the course (iii) Financial involvements for launching the programme.

It was agreed that the courses to be launched should be reviewed on these three parameters. The Chairman clarified that the courses proposed under Item No.6(II) are already approved by Academic Council and only we are assessing the progress made in the direction of their launching. Further It was clarified that whenever there is no faculty for any particular programme a scheme of appointing consultants is being worked out and the same will be placed before BOM. But we would not like to launch any course without being there anybody to supervises the same the brief report about the a & b was presented. For course (C). Since the course Incharge was not present, the programmes could not be ascertained.

contd.....8

472

(8)

- (iii) To peruse & approve the proposals for launching new courses.

The Chairman explained that the three proposals have been received from various faculties for new programmes. Some members initially resisted the idea of launching new programmes.

However, in view of the observations of the other members and some clarifications from the Chairman, it was finally agreed that the expert committee stated for these courses may meet and submit a report covering both academic and financial aspects of the proposed programmes. The reports will be submitted to Academic Council for further discussion.

- Item No.20/7(i) To peruse and approve the Academic Calendar.

The Academic Calendar prepared by the university was approved by the A.C.

order

- (ii) To approve the change in eligibility for admission in Diploma in Tourism and Hotel Management.

Diploma in THM admission eligibility was approved.

do

- (iii) To approve the change of eligibility for admission PGDLL.

The A.C approved the change of eligibility norms for admission in PGDLL programme but the entire note mentioned in the proposal be deleted.

- (iv) To peruse and approve the decision regarding M.Ed. dissertation.

The matter should be referred to the committee and then after it should be placed before the Vice-Chancellor. The house authorised the Vice-Chancellor for a final decision.

contd.....9

(9)

- (v) To consider and approve the matter with regard to allow Chartered Accountants for Ph.D programmes.

This item was deferred for the next meeting.

- (vi) To consider and approve the minutes of the meeting held 26/5/99 regarding non-interdisciplinary choice of subjects in M.A.

The house approved the item and also said that it should be as a temporary phase.

9 | Item No.20/8(i) To consider and approve the recommendation of the committee meeting held on 22 March, 99 regarding examination, admission and counselling session.

Academic Council approved the recommendations of the committee.

- (ii) To report the number of Ph.D degrees awarded.

Noted with satisfaction.

- (iii) To approve the extension of time given for submission of thesis.

Approved.

- (iv) Relaxation of Bi-annual seminars.

Approved.

- order /
- (v) To peruse & approve fee structure for Ph.D.

Approved.

- (vi) To peruse and nominate one member at the Library Committee out of members of Academic Council.

The Council nominated Dr.M.L. Gupta as a member in the Library Committee.

- (vii) Implementation of Vth Pay Commission report for academics.

The committee noted because the competent authority to approve the revised Pay Scale is BOM.

contd.....10

(10)

Director, Academic with the permission of the chair presented a point about the foreign travel rules already passed by BOM. The Chairman clarified that this is not a matter pertaining to Academic Council. The issue to be properly framed and placed before the competent authority of the university for consideration.

The meeting concluded with the vote of thanks to the chair.

*S*  
*02*  
(S.R. Srivastava)  
Registrar & Member Secretary  
Academic Council

Minutes of the 21st meeting of Academic Council held on 19/4/2000 at 10.30.a.m. in the Vice-Chancellor's Secretariat meeting room, Kota Open University, Kota.

The following were present:-

1. Prof.G.S.L.Devra, - Chairman  
Vice-Chancellor,  
KOU, Kota.
2. Prof. D.K.Choudhry, - Member  
Director (Regional Services),  
IGNOU,  
New Delhi.
3. Dr.S.K.Verma, - member  
Retd. Principal,  
Govt. College,  
Kota.
4. Dr.G.K.Sharma, - Member  
Retd. Professor,  
Kota.
5. Prof. M.D. Agrawal, - Member  
Prof. in Commerce,  
KOU, Kota.
6. Prof.P.K.Sharma, - Member  
Prof. in Management.
7. Prof. P.K.Sahoo, - Member  
Prof. in Education.
8. Dr. Anam Jaitly, - Member  
Asso. Prof. in Pol. Sc.
9. Dr.K.K.Khaitan, - Member  
Director,  
R.C., Jodhpur.
10. Dr. M.K.Ghadoliya, - Member  
Asso. Prof. in Economics.
11. Dr. Ramesh Jain - Member  
Asso. Prof. in Journalism.
12. Dr.M.L.Gupta, - Member  
Asso. Prof. in Edu.
13. Dr. B.K.Sharma, - Member  
Asso. Prof. in History.

14. Dr. H.B. Nandawana,  
Asstt. Prof. in Lib. Sc. - Member
15. Dr. D.K. Gupta  
Asstt. Prof. in Lib.Sc. - Member
16. Shri Sudhir Kher,  
Asstt. Prof. in Law. - Member
17. Sh. N.L. Chandak,  
Registrar. - Member-Secretary

The following members could not attend the meeting :

1. Director, College Education, Jaipur
2. Dr. Ram Mohan Verma, Jodhpur
3. Dr.(Mrs.) Amrit Walia,  
Director, R.C., Jaipur.

The following Special Invitees also attended the meeting:-

1. Sh. P.N. Sharma  
Finance Officer
2. Sh. Rakesh Sharma  
Asstt. Prof. in Computer Science.

At the outset Hon'ble Vice-Chancellor and Chairman, Academic Council extended a hearty welcome to all the members of the Council.

The house also welcomed Prof. G.S.L. Devra as new Chairman of the Academic Council and Shri N.L.Chandak, as Registrar and Member Secretary of the Academic Council.

The Chairman proposed a vote of thanks for Dr.R.V.Vyas, Ex-Officiating Vice-Chancellor and Ex-Chairman of the Academic Council and Dr.L.N.Gupta, Retired Director (Academic) and Ex-Member of the A.C. The house also remembered the invaluable services rendered by both of them.

The Hon'ble Vice-Chancellor apprised the members with the developments following the last meeting of the Academic Council. In this context, he particularly elaborated the participatory and communitarian basis of the Open University and informed the members of the vast arena of possibilities in which the University enters with its involvement with Gyan Darshan and Interactive Radio Counselling. He also highlighted the launching of new courses (e.g.D.C.C.T. & M.J.M.C.) and referred to the rising numbers of enrolments to the University as a consequence thereof. The Chairman also elaborated that as a result of intensive campaigning conducted at small town and village level the numbers in the B.A.P./B.C.P. also increased. Looking to this success the University is again going to repeat the admission of these courses in the coming June-July. He further outlined the reforms and efficiency accomplished by the Examination

Section by successfully conducting the various examinations and declaring the results meticulously thereafter. All these developments re-affair the service resolve and improving zonal relevance of the University.

Thereafter, the regular agenda items were taken up for discussion as per the details given below:-

Item No. 21/1 : Confirmation of the minutes of the 20th meeting of A.C. held on 12/6/1999.

The minutes of the 20th meeting of the Academic Council held on 12/6/1999 were confirmed.

Item No. 21/2 : To peruse Action Taken Report on the decisions of the 20th meeting of A.C. held on 12/6/1999.

The members noted the Action Taken Report of the decisions of the 20th meeting of the A.C. held on 12/6/1999.

Item No. 21/3 : To peruse and approve the following three programmes in Computer Education:-

- (a) Certificate in Computing (CIC)
- (b) Computer Awareness and Training Programme for Beginners
- (c) Certificate in Information Technology.

The Chairman apprised the house that in the present scenario, education has much to do with information technology and all educational advancement crucially depends on mastering the said technology. The Kota Open University run computer courses do not any more serve the critical requirement on account of their becoming obsolete. Alternatively, the proposed courses in computer appreciation, training and application are called for. The Council resolved to approve the course structure and norms pertaining to CIC, Computer Awareness and Training programme for beginners and Certificate in Information Technology. The CIC course will be on the pattern of IGNOU. The CDC shall be authorised to determine the fee structure while taking a total view of all the processes. However, for CIC the fee structure shall be identical with the IGNOU one.

Item No. 21/4 : To peruse and approve the new programmes at the Graduation level as per the prevalent syllabus of other Universities of Rajasthan.

The Chairman explained reasons for specifying the regional requirement and proposed to introduce the new B.A.

programme for reasons of regional compatibility and better facilities to students of Rajasthan. The Academic Council approved the proposal.

Item No. 21/5 : To peruse and approve launching of new P.G. programmes (M.A.) in the subjects of Sociology and Public Administration.

The recommendation of the faculty to launch the two Post Graduate programmes i.e. M.A. in Sociology and Public Administration was discussed by the members and the same was approved in principle. The Council further accepted that the Post Graduate programmes should be launched in all subjects where the University currently conducts the Graduation Degree programme.

Item No. 21/6 : To peruse and approve remuneration rates for unit writing and course preparation.

*order*

The Academic Council approved the recommendation of the committee constituted by the Vice-Chancellor for revision of rates for unit writing and other components of course development.

Item No. 21/7 : To peruse and approve the revision of fee structure of various programmes run by the University.

*order*  
*Dr. Mah. Singh*  
*Dr. Anand Singh*

The Chairman explained that looking to the hike in the fees by other Universities and increasing cost of infrastructure facility as required by the Open University, it is necessary for Kota Open University to rationalise and revise the existing fee structure.

The Academic Council approved the revision in fee structure as recommended by the committee appointed for the stated purpose.

Item No. 21/8 : To peruse and approve the decision taken by the Vice-Chancellor regarding:

a) permission to allow extra counselling sessions

b) Relaxing the holding of counselling sessions even when there are less than 20 students enrolled in any programme offered by KOU.

*order*

The item was approved.



Item No. 21/9 : To report the decision taken by the V.C. to condone the entrance test for admission in Management courses for the year 1999 only.

The Council noted the decision.

Item No. 21/10 : To consider and approve the recommendations of the committee constituted to consider the decision of the Academic Council approved vide item No. 19/16, looking to the practical difficulties in implementing the same.

*Order*  
9

The Academic Council discussed the matter and resolved that the candidates who sought admission in integrated courses like B.A./B.Com., Management, etc. and failed to clear the programme in the stipulated duration, may be given two more chances for appearing in their respective examinations to clear the programmes.

Item No. 21/11 : To peruse & approve the recommendation of the committee to provide last chance to the 84 students of 1st year (Foundation) batch 1998 to clear BAP/BCP course.

The Council approved the recommendation of the committee.

Item No. 21/12 : To peruse & approve the qualifications for the post of Professor/Associate professor/Asstt. Professor in the subject of Journalism / Mass Communication & Social work.

*Order*  
1

Resolved that the qualifications received from UGC for the post of Prof./ Assoc. Prof./ Asstt. Prof. in the subjects of Journalism / Mass Communication & Social Work be approved.

Item No. 21/13 : To peruse & approve the proposal to recast the Management Programme on the recommendation of the Expert Committee.

The recommendations of the Expert Committee were approved.

Item No. 21/14 : To peruse & approve the proposal for establishing Staff Training & Res. Institute of Distance Education at Kota Open University, Kota (KOU-STRIDE).

*STRIDE  
20/11/14*

The item was approved.

Item No. 21/15 : To peruse & approve the formation of Research Degree Committee and matters concerning Ph.D. registration.

*order  
20/11/14*

The recommendations of the Committee were approved and the Vice-Chancellor was authorised to nominate External Expert of eminence to the R.D.C.

Item No. 21/16 : To peruse & approve formation of Flying Squad for visiting various examination centres during examinations of the university.

*what happened  
20/11/14*

The Committee confirmed the arrangement and resolved to authorise the V.C. to appoint a sub-committee to decide the relevant modalities for the flying squad to meet out the prospective contingencies.

Item No. 21/17 : To peruse & approve the revised norms for admission to the M.Ed. programme as per the NCTE guidelines.

The matter was discussed at length and approved thereafter. However, it was agreed to circulate the guidelines received from the NCTE among the A.C. members.

Item No. 21/18 : To peruse & approve the remuneration rates for BJMC, DCCT, DNHE & THM Project Reports.

*order  
20/11/14*

The item was approved.

Item No. 21/19 : To peruse & approve the recommendation of Post Graduate Course Co-ordination Committee to introduce a paper in lieu of Essay (paper IX) in M.A. Final History.

*order  
20/11/14*

Resolved that the recommendation of the committee be accepted and M.A.(Final) History students be permitted to offer a paper in lieu of Essay in paper-IX.

Item No. 21/20 : (a) To consider the Status Report for launching "GYAN DARSHAN" channel at all Regional Centres.

The members discussed the report of the Committee on "GYAN DARSHAN" channel and agreed for the stated launching.

(b) Interactive Radio Counselling Programme.

Launching of Interactive Radio Counselling programme was appreciated by the Council. It was felt that Radio Counselling will play a dynamic role in strengthening the Student Support Services.

Item No. 21/21 : To peruse the number of Ph.D. Degrees awarded.

The award of Ph.D. Degree to Shri C.S. Meena in the Faculty of Commerce and Shri.D.S. Yadav and Miss. Anita Gupta in the Faculty of Social Sciences was noted.

Item No. 21/22 : To peruse and confirm the extension of time for submission of Ph.D. thesis.

The action taken by the Vice-Chancellor for granting extension of time for submission of Ph.D. thesis to Mr. Abdul Majid and Mrs. Manju Malav and Miss. Shuchi Baliyan was confirmed.

Item No. 21/23 : To peruse & confirm the relaxation in bi-annual seminars to the Research Scholars.

The item was noted.

Item No. 21/24 : To peruse the list of Registration of Research Scholars.

The list of Registration of Research Scholars was perused by the Council.

TABLE AGENDA

Item No. 1:- To peruse & approve the M.Ed.Dissertation guidelines and Evaluation norms as finalised by the Committee constituted by the Hon'ble Vice-Chancellor.

Resolved that the proposal be re-examined by the Subject Committee.

Item No.2:- To peruse & approve the modification of B.Ed. course titles as proposed by Prof. P.K.Sahoo, Head, Deptt. of Education and confirmed by the Course Revision Committee /External Experts.

All the members agreed with the modification of B.Ed. course titles. However, Dr.M.L.Gupta, Assoc. Prof. in Education, disagreed with the above modification on the grounds that the revision work of this course by itself is unwanted on account of non-continuance of B.Ed.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.



REGISTRAR &  
MEMBER SECRETARY  
ACADEMIC COUNCIL.

## कोटा खुला विश्वद्यालय, कोटा

### 22 वीं विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27.11.2000 में विचारणीय बिन्दुओं का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 22 वीं बैठक दिनांक 27.11.2000 को प्रातः 11 बजे, ई.एम.  
पी.सी भवन में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नादिखित सदस्य उपस्थित थे-

1. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा  
कुलपति, को.खु.वि.  
कोटा - अध्यक्ष
2. प्रो. डी.के. चौधरी  
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ  
इ.गा.रा.गु.वि.वि.  
नई दिल्ली - सदस्य
3. प्रो. एम.डी. अब्दुल  
निदेशक, सहाय  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य
4. डा. अनाम जेटली  
सह आचार्य, राज.वि.,  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य
5. डा. फे.के. खेतान  
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 6.  | डा. एम.के. घडोलिया<br>सह आचार्य, अर्थशास्त्र<br>को.सु.वि., कोटा           | - सदस्य      |
| 7.  | डा. रमेश जैन<br>सह आचार्य, पत्रकारिता<br>को.सु.वि., कोटा                  | - सदस्य      |
| 8.  | डा. एम.एल. गुप्ता<br>सह आचार्य, शिक्षा<br>को.सु.वि., कोटा                 | - सदस्य      |
| 9.  | डा. पी.के. शर्मा<br>सह आचार्य, इतिहास<br>को.सु.वि., कोटा                  | - सदस्य      |
| 10. | डा. (श्रीमती) दामिना चौधरी<br>सहायक आचार्य, शिक्षा<br>को.सु.वि., कोटा     | - सदस्य      |
| 11. | डा. एच.पी. नन्दवाना<br>सहायक आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान<br>को.सु.वि., कोटा | - सदस्य      |
| 12. | डा. डी.के. गुप्ता<br>सहायक आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान<br>को.सु.वि., कोटा   | - सदस्य      |
| 13. | श्री एम.एल. चाण्डक<br>कुलसचिव<br>को.सु.वि., कोटा                          | - सदस्य सचिव |

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर,
2. प्रो. पी.के. शर्मा  
आचार्य, प्रबन्ध; को.सु.वि., कोटा

MR

3. श्रीमति ( डा. ) अमृत चालिया,  
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर

बैठक में निम्न विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया -

1. श्री एच.के. मीणा  
वित्त अधिकारी, को.खु.वि., कोटा

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का परिषद की बैठक में आने का स्वागत किया एवं नव आगन्तुक सदस्या श्रीमती दागिना चौधरी का परिचय करवाया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने परिषद के निचयमान सदस्यों सर्वश्री डा. एस. के. वर्मा, डा. जी.के. शर्मा, डा. राम मोहन वर्मा, प्रो. पी.के. साहू एवं श्री सुधीर खैर द्वारा परिषद को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के प्रति अपना एवं परिषद के सदस्यों की ओर से अभार व्यक्त किया।

माननीय कुलपति महोदय ने परिषद के सदस्यों का ध्यान प्रवेश हेतु बढ़ती छात्र संख्या, समय पर आयोजित परीक्षाएँ एवं उनके परिणाम, स्ट्राइड द्वारा आयोजित कार्यक्रम, इण्टर-एक्टिव रेडियो कॉन्सलिंग की बढ़ती लोकप्रियता तथा निवाड़ (ग्रामीण केन्द्र) एवं सूरतगढ़ (ग्राम केन्द्र) में सेटलाइट अध्ययन केन्द्र खोलने आदि विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सदस्यों को यह जानकारी भी दी गई कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक महीने के भीतर विश्वविद्यालय के दो विभिन्न कार्यक्रमों (अतिथिगृह का लोकार्पण एवं सूरतगढ़ सैन्य केन्द्र में अध्ययन केन्द्र का लोकार्पण - 5 व 25 नवम्बर, 2000) में भाग लिया व अम्बुआ आर्शीवाद दिया। तदुपरान्त नियमित कार्यसूची विवरण पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी -

आ.:

गद संख्या 22/01,

दिनांक 19.04.2000 को सम्पन्न हुई 21 वीं विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ

--- X ---

दिनांक 19.04.2000 को सम्पन्न विद्या परिषद की 21 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

---XXX---

मद संख्या 22/02

दिनांक 19.04.2000 को सम्पन्न हुई 21 वीं विद्या परिषद् की अनुपालना विवरण अनुमोदनार्थ

--- X ---

सभी सदस्यों ने अनुपालना विवरण का अनुमोदन किया।

मद संख्या 22/03

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपाधियों की मान्यता वावत प्राप्त पत्र, क्रमांक एफ 1-52/97(सीपीपी-II) विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

उपर्युक्त मद पर सभी सदस्यों ने विचार विमर्श किया। चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि विश्वविद्यालय अपने समस्त डिग्री कार्यक्रम यू.जी.सी. के मापदण्डों पर ही चला रहा है। दुविधा मात्र बी.जे.एम.सी. व एम.जे.एम.सी. के नामकरण को लेकर है। इन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में यू.जी.सी. के पत्र की भावना के अनुरूप ही यह निर्णय भी लिया गया कि प्रचलित नामों को लेकर यू.जी.सी. (एवं साथ ही दूरस्थ शिक्षा परिषद्) को संशोधन के लिये पत्र लिखा जाये। अगर निश्चित अवधि अर्थात् इन पाठ्यक्रमों की आगामी परीक्षा तक यू.जी.सी. के स्तर पर यह कार्यवाही सम्भव न हो तो इन पाठ्यक्रमों का नामकरण यू.जी.सी. मापदण्डों के अनुसार कर दिया जाये। डा. चौधरी ने यह जानकारी दी कि इ.गों.रा.गु.विश्वविद्यालय अभी अपने नामकरण से ही पाठ्यक्रम चला रहा है।

---XXX---



गद संख्या 22/04

विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ने पत्र क्रमांक प-3(17)/शिक्षा.4/2000 दिनांक 24.6.2000 के माध्यम से विकलांगता से सम्बन्धित अध्याय को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव आदेशार्थ एवं निर्णयार्थ।

--- X ---

राज्य सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सदस्यों ने विचार कर निर्णय किया कि विभिन्न विषयों की कोर्स डवलपमेंट समितियों के विचार व निर्णय से सभी पाठ्यक्रमों में एक अध्याय विकलांगता के बाबत सम्मिलित कर लिया जाये।

---XXX---

गद संख्या 22/5

वर्ष जून 1997 से मार्च 2000 तक के बाद के बैचों के लिए विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों की उपाधियों के निर्माणार्थ ग्रेस-पास का निर्धारण व उसकी स्वीकृति।

--- X ---

परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव में उल्लिखित उपाधियों, विद्यार्थियों की संख्या एवं निर्धारित शर्तों पर ग्रेस पास परित किया।

---XXX---

गद संख्या 22/06

स्टेड्यूट 8(1) के अन्तर्गत तीन शिक्षाविदों को पद्या परिषद में दो वर्ष हेतु मनोनीत करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

--- X ---

परिषद द्वारा तीन शिक्षाविदों के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

---XXX---

गद संख्या 22/07

वी.ए./वी.कॉम. पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठकों की अभिशंषाएँ  
अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

- ~~संख्या~~  
संख्या
- (अ) वी.ए.प्रारम्भिक पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक, दिनांक 17.08.2000  
(ख) वी.कॉम.प्रारम्भिक पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक, दि. 20.9.2000  
(स) वी.ए.पाठ्यक्रम के अर्थशास्त्र विषय की बैठक, दिनांक 29 एवं 30.9.2000  
(द) वी.ए.पाठ्यक्रम के राजनीति शास्त्र विषय की बैठक, दि. 21.11.2000

--- X ---

वी.ए. / वी.कॉम. (प्रारम्भिक), वी.ए. (अर्थशास्त्र), वी.ए. (राजनीति शास्त्र) में  
पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठकों की अभिशंषाओं का अनुमोदन किया गया।  
इसके साथ यह विश्वास व्यक्त किया गया कि अन्य सम्यन्धित पाठ्यक्रमों की  
समितियों भी शीघ्र ही अपनी-बैठक आयोजित करके अभिशंषाएँ प्रस्तुत करेंगी।

---XXX---

गद संख्या 22/08

वी.एड. पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रगति विवरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक  
निर्देशार्थ।

~~संख्या~~  
संख्या

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने वी.एड. पाठ्यक्रम में प्रगति विवरण का अवलोकन कर  
संतोष व्यक्त किया।

---XXX---

मद संख्या 22/09

~~प्रवेश~~ बी.ए.पी. / बी.सी.पी. एवं बी.ए.एफ. / बी.सी.एफ. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात निर्धारित अवधि (दस वर्ष) में बी.ए. / बी.कॉम. उत्तीर्ण नहीं करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन करने की अनुमति याचत गणना अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने बी.ए.पी. / बी.सी.पी. एवं बी.ए.एफ. / बी.सी.एफ. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात निर्धारित अवधि (दस वर्ष) में बी.ए. / बी.कॉम. उत्तीर्ण नहीं करने वाले विद्यार्थियों को पुनः पंजीयन करने की अनुमति पर सहमति प्रदान की। इसमें इस बात का भी निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व में अर्जित क्रेडिट को यथावत स्वीकार किया जाये और आगे की परीक्षाओं में उनका समायोजन प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाये।

---XXX---

मद संख्या 22/10

~~प्रवेश~~ विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र सारणी (कलेण्डर) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र सारणी (कलेण्डर) का अनुमोदन किया।

---XXX---

गद संख्या 22/11

बी.ए.पी. / बी.सी.पी. में प्रवेश व परीक्षा में बैठने के अवसर बाबत निर्णय  
अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रवेश  
परीक्षा

(अ) बी.ए./बी.कॉम. प्रारम्भिक / आधार पाठ्यक्रम में वर्ष में दो बार प्रवेश  
देने बाबत।

(ब) बी.ए.पी./बी.सी.पी. के छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और अवसर  
देने बाबत।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने बी.ए./बी.कॉम. (प्रारम्भिक) / आधार पाठ्यक्रम में वर्ष  
में दो बार प्रवेश देने एवं बी.ए.पी./बी.सी.पी. के छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक  
और अवसर देने का निर्णय लिया।

---XXX---

गद संख्या 22/12

इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किए गये नये अध्ययन केन्द्रों की सूचना  
अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

RS.

विश्वविद्यालय द्वारा निवाई (ग्रामीण क्षेत्र) एवं सूरतगढ़ (सिन्य क्षेत्र) में खोले  
गये अध्ययन केन्द्रों का अनुमोदन किया एवं हर्ष व्यक्त किया।

---XXX---

गद संख्या 22/13

चयन समिति हेतु विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सूची (पैनल) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

परिषद ने निम्नलिखित विषयों में विशेषज्ञों के पैनल पर सहमति व्यक्त की।

विषय	विशेषज्ञों की संख्या
1. Management	15-16
2. History	15
3. Education	15
4. Law	10
5. Computer Science	09
6. Journalism	13
7. Library Science	16
8. Commerce	16
9. Indian Culture and Traditions	15
10. Economics	16/15
11. Political Science	18
12. Hindi	11
13. English	11
14. Engineering	16
15. Public Administration	16

---XXX---

next  
agenda  
item

गद संख्या 22/14

समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों की पूर्व निर्धारित शुल्क राशि के क्रम में डिफॉल्टर छात्रों के लिए देय प्रश्नपत्र-वार परीक्षा शुल्क का त्वरण व तत्सम्बन्धी संस्तुति व कार्यालय आदेश सूचनार्थ प्रस्तुत।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने डिफॉल्टर छात्रों के लिए देय प्रश्नपत्र-वार परीक्षा शुल्क निर्धारण हेतु पारित आदेश क्रमांक 1298 दिनांक 1.11.2000 का अनुमोदन किया।

---XXX---

order

nr

गद संख्या 22/15

परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाने वाले निरीक्षक-दलों (फ्लाइंग स्क्वाड) के गठन सम्बन्धी मानदण्डों का अवलोकन एवं स्वीकृति।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने परीक्षा के समय बनाये जाने वाले फ्लाइंग स्क्वाड गठन सम्बन्धी समिति की बैठक में निर्धारित मापदण्डों पर सहमति प्रदान की।

---XXX---

गद संख्या 22/16

विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं के लिए विलग्य रहित, विलग्य सहित तथा आसाधारण परिस्थितियों में दुगने विलग्य शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्रों का सांसाधन तथा परीक्षा में विद्यार्थियों का पंजीकरण उचित चर्गाकरण की सक्षम स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी कार्यालय-आदेश की सूचनार्थ प्रस्तुति।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने परीक्षार्थियों द्वारा समय पर परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विलग्य शुल्क लेने यावत विचार किया। इस प्रसंग में सदस्य डा. डी. के. चौधरी का मत था कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत इस तरह के विलग्य शुल्क का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिये। परन्तु परीक्षा नियन्त्रक (डा. अनाजैटली) ने इस सम्बन्ध में अपनी समस्याओं की जानकारी दी। अतः यह निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण समिति पुनः इस पर चर्चा करें व अस्थायी व्यवस्था के तौर पर प्रस्तावित विलग्य शुल्क की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाये।

---XXX---

गद संख्या 22/17

प्रवेश विभाग द्वारा गानगीय कुलपति की स्वीकृति से पारित निम्न आदेश अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ -

प्रवेश  
सत्र जुलाई, 2000 में नये छपे हुए प्रवेश आवेदन पत्रों की राग्य पर अनुपलब्धता के कारण पुराने सत्र 1997, 1998, 1999 एवं जनवरी 2000 के छपे हुए आवेदन पत्रों का पूर्व अनुमोदित संशोधनों के साथ, नई दरों पर विक्रय हेतु उपयोग की कार्यवाही।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने प्रवेश हेतु पुराने सत्र के आवेदन पत्रों के उपयोग हेतु कुलपति महोदय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।

---XXX---

गद संख्या 22/18

सी.एफ.एन. पाठ्यक्रम में विकास शुल्क को रु. 60/- से घटाकर अन्य छः माह के पाठ्यक्रम के समान रु. 30/- करने हेतु।

--- X ---

प्रवेश  
परिषद के सदस्यों ने सी.एफ.एन. पाठ्यक्रम अन्य छः माह पाठ्यक्रमों की कमी होने के कारण विकास शुल्क 30/- रुपये प्रति छात्र लेने का निर्णय पारित किया।

---XXX---

गद संख्या 22/19

एम.ए. उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों से पंजीयन शुल्क वसूल करने वायत।

प्रवेश

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने अन्य समान पाठ्यक्रमों की भाँति एम.ए. (उत्तराखण्ड) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से भी पंजीयन शुल्क लेने की स्वीकृति दी।

---XXX---

गद संख्या 22/20

प्रवेश विभाग द्वारा सत्र जुलाई, 2000 से प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित व विस्तृत एवं गतिशील बनाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24.7.2000 एवं 4.9.2000 की कार्यवाही विवरण एवं इसी क्रम में लिये गये निर्णय सम्बन्धी आदेश अचलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रवेश

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने सत्र जुलाई, 2000 से प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने वायत कुलपति द्वारा गठित की गई समितियों की अभिशंषा पर लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया।

---XXX---

54

12



गद संख्या 22/21

- ~~अ]~~ (अ) प्रबन्ध पाठ्यक्रम के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 4.8.2000 का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ।
- 2/2/0
- (ख) प्रबन्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने बाबत समिति की अभिशंखाएँ सूचनार्थ।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने प्रबन्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गठित विषय समिति की बैठक 4.8.2000 एवं प्रबन्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने बाबत गठित समिति की अभिशंखाओं को स्वीकृति प्रदान की।

---XXX---

गद संख्या 22/22

डी.एन.एच.ई., डी.सी.ओ. एवं बी.ए. पाठ्यक्रम में 1989 के पुराने हायर सैकण्डरी व प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश योग्य मानने बाबत।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने डी.एन.एच.ई., डी.सी.ओ. एवं बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता 10 + 2 सीनियर हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण के स्थान पर 1989 से पूर्व के हायर सैकण्डरी व प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश योग्य माना।

---XXX---

गद संख्या 22/23

~~अवधि~~  
अंश 4

दिनांक 12.05.2000 को रिसर्च उपाधि कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई उपाधि कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- X ---

शोध उपाधि समिति की दिनांक 12.6.2000 को सम्पन्न हुई बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट में प्रस्तावित कमेटी के सदस्यों का मनोनयन करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

---XXX---

गद संख्या 22/24

~~अवधि~~  
अंश 4

संकाय से शोध के क्षेत्र में प्राप्त सूचनाएँ

- (अ) पी.एचडी. उपाधि हेतु संकायों में पंजीकृत तेरह शोध छात्रों की सूची अवलोकनार्थ।
- (इ) पी.एचडी. उपाधि पूर्ण करने वाले तीन छात्रों की सूची अवलोकनार्थ।

--- X ---

परिषद के सदस्यों ने पी.एचडी. उपाधि हेतु विभिन्न संकायों में पंजीकृत तेरह शोधकर्ताओं की सूची एवं पी.एचडी. उपाधि पूर्ण करने वाले तीन शोधकर्ताओं की सूची का अवलोकन किया।

अवधि

---XXX---

शोध से सम्बन्धित पारित निम्न आदेश सूचनार्थ।

~~संख्या~~ 22/25  
(अ) माननीय कुलपति महोदय द्वारा पी.एच.डी. उपाधि हेतु पंजीकृत छात्र श्री रमेश कुमार अग्रवाल को पेपर / सेमीनार प्रस्तुत करने हेतु रिसर्च अध्यादेशों के प्रायधानों के अन्तर्गत दी गई छूट के आदेशों का अनुमोदन।

(ख) पी.एच.डी. उपाधि हेतु पंजीकृत छात्रों द्वारा पी.एच.डी. की शास्त्र-पत्र (Thesis) प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने बाबत पारित आदेश अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- X ---

परिषद ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा पी.एच.डी. पूर्ण करने बाबत पेपर/ सेमीनार प्रस्तुत करने में छूट एवं शोध पत्र प्रस्तुत करने बाबत बढ़ाई गई समयावधि के आदेशों का अनुमोदन किया।

---XXX---

टेबल एजेण्डा आइटम

मद संख्या 1

माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर दिनांक 16.10.2000 को सम्पन्न हुई बी.एड. प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु राशि रु. 5/- के स्थान पर 10/- प्रति उत्तर पुस्तिका परीक्षक को पारिश्रमिक देने के आदेश अनुमोदनार्थ।

--- X ---

परिषद ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा अन्य समान परीक्षाओं की भाँति उपरोक्त बढ़ाये गये पारिश्रमिक का अनुमोदन किया।

मद संख्या 2

बी.ए.पी./बी.सी.पी. बैच जून 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित छात्रों को एक ओर अवसर देने बाबत।

--- X ---

परिषद ने बी.ए.पी./बी.सी.पी. बैच जून, 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य पंजीकृत छात्रों को परीक्षा हेतु एक अतिरिक्त अवसर देने हेतु सहमति प्रदान की।

--- XXX ---

मद संख्या 3

सत्र जुलाई, 2000 से विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश फार्म अध्ययन केन्द्रों पर विक्रय करने एवं स्टाफ को एक रूपया प्रति आवेदन पत्र-इन्सेन्टिव का आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

--- X ---

परिषद ने अध्ययन केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ को 1/- रूपया प्रति आवेदन पत्र इन्सेन्टिव देने के आदेश का अनुमोदन किया।

मद संख्या 4

एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुरूप बी.एड. की अर्हता शर्तों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. करने हेतु तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव के स्थान पर दो वर्ष करने के संशोधन बाबत।

--- X ---

परिषद ने एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुरूप बी.एड. की अर्हता शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।



गद संख्या 5

दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों की काउन्सलिंग का प्रस्ताव एवं उसके समय एवं दरों के बाबत।

--- X ---

सदस्यों ने सम्बन्धित पत्रों का अवलोकन किया एवं दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों की काउन्सलिंग आयोजित करने में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। इसमें प्रो. डी.के. चौधरी का मत था कि इन कार्यक्रमों का प्रस्ताव बनाकर दूरस्थ शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये।

  
सदस्य सचिव  
विद्या परिषद

~~संख्या~~  
24/6/23  
R.S.  
J.E.T.

## कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

23 वीं विद्या परिषद की बैठक दिनांक 09/5/2001 में विचारणीय  
बिन्दुओं का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 23 वीं बैठक दिनांक 09/5/2001 को प्रातः  
10.30 बजे, ई.एम.पी.सी. भवन में सम्पन्न हुई जिस में निम्नलिखित  
सदस्य उपस्थित थे :-

1. प्रो. जी.एस.एल. देवडा  
कुलपति, को.खु.वि.वि.  
कोटा : अध्यक्ष
2. डा. डी.के. चौधरी  
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं  
इन्दिरा गांधी रा.मु.वि.वि.  
नई दिल्ली : सदस्य
3. डा. आर.डी. सैनी  
निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
जयपुर : सदस्य
4. प्रो. एम.डी. अग्रवाल  
निदेशक, संकाय  
कोटा खुला वि.वि., कोटा : सदस्य
5. प्रो. पी.के. शर्मा  
आचार्य, प्रबन्ध  
कोटा खुला वि.वि., कोटा : सदस्य
6. डा. अनाम जैतली  
सह आचार्य  
राजनीति विज्ञान  
कोटा खुला वि.वि., कोटा : सदस्य
7. डा. के.के. खेतान  
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र  
कोटा खुला वि.वि., जोधपुर : सदस्य
8. डा. अमृत वालिया  
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र  
कोटा खुला वि.वि., जयपुर : सदस्य
9. डा. एम.के. घड़ोलिया  
सह आचार्य, अर्थशास्त्र  
कोटा खुला वि.वि., कोटा : सदस्य

10. डा. रमेश जैन : सदस्य  
सह आचार्य, पत्रकारिता  
कोटा खुला वि.वि. कोटा
11. डा. बी.के. शर्मा : सदस्य  
सह आचार्य, इतिहास  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
12. डा. दामिना चौधरी : सदस्य  
सहायक आचार्य, शिक्षा  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
13. डा. एच.बी. नन्दवाना : सदस्य  
सहायक आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
14. श्री राकेश शर्मा : सदस्य  
सहायक आचार्य, कम्प्यूटर  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
15. श्री योगेश शर्मा : सदस्य  
सहायक आचार्य, विधि  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
16. श्री एन.एल. चाण्डक : सदस्य सचिव  
कुलसचिव  
कोटा खुला वि.वि., कोटा
17. श्री एच.के. मीणा : विशेष आमंत्रित  
वित्त अधिकारी  
कोटा खुला वि.वि., कोटा

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो. दिलबाग सिंह  
जवाहरलाल नेहरू वि.वि. नई दिल्ली
2. प्रो. ए.के. संचेती  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल  
एजुकेशन, भोपाल,
3. निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर
4. डा. एम.एल. गुप्ता  
सह आचार्य, शिक्षा, को.खु.वि.वि., कोटा
5. डा. अशोक शर्मा  
सहायक आचार्य, राजनीति-शास्त्र, को.खु.वि.वि., कोटा

ho 51

and

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद ने सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने विद्या परिषद में नए मनोनीत सदस्यों प्रो. दिलबाग सिंह, अध्यक्ष, सेन्टर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ. आर.डी. सैनी, निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रो. ए.के. संचेती, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कृषि संभाग, पंडित सुन्दरलाल शर्मा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ऐजुकेशन, भोपाल, डा. अशोक शर्मा, श्री योगेश शर्मा तथा श्री राकेश शर्मा का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने निवर्तमान सदस्य डा. दिनेश कुमार गुप्ता के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्तुत किया और विद्या परिषद की बैठकों में उक्त सदस्य के योगदान की सराहना की।

अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद के सदस्यों को विश्वविद्यालय के विकासात्मक किया-कलापों की जानकारी दी। इस संदर्भ में उन्होंने सतत बढ़ती छात्र संख्या व तत्परिणामी बढ़ते राजस्व का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ते राजस्व के साथ स्पष्टतः घटे प्रशासनिक व्यय का भी उल्लेख किया जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय का बजट विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विकासोन्मुखी स्वरूप अर्जित कर सका। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन पुस्तकालय भवन की विविध निर्माण-अवस्थाओं से सदस्यों का परिचय कराया और इस दिशा में दूरस्थ शिक्षा परिषद के बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा की। अध्यक्ष महोदय ने इन्टरएक्टिव रेडियो काउन्सलिंग की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के प्रति सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया और हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से समारम्भ की गई काउन्सलिंग सेवाओं के तथ्य से सदस्यों को अवगत कराया।

तदुपरान्त नियमित कार्यसूची के अनुसार विद्या परिषद ने विविध विचारणीय बिन्दुओं पर चर्चा की और उन पर समुचित निर्णय लिए जिनका विवरण इस प्रकार है :

बिन्दु संख्या : 23/01

दिनांक 27/11/2000 को संपन्न हुई 22वीं विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु।

विद्या परिषद ने उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या : 23/02

दिनांक 27/11/2000 को संपन्न हुई 22वीं विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई अनुपालना अवलोकनार्थ।



सभी सदस्यों ने अनुपालना विवरण पर सन्तोष व्यक्त किया ।

बिन्दु संख्या : 23/03

इटारना अध्ययन केन्द्र अलवर [राज.] पर सेटेलाइट अध्ययन केन्द्र खोलने के आदेश अवलोकनार्थ ।

परिषद ने इटारना अध्ययन केन्द्र, अलवर पर सेटेलाइट अध्ययन केन्द्र खोलने के आदेश पर अपनी सहमति व्यक्त की ।

बिन्दु संख्या : 23/04

डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में [एल.एल.बी.सहित] अंतिम वर्ष में प्रवेश से पूर्व पिछली कक्षाओं के सभी बकाया प्रश्न पत्र पास करना अनिवार्य करने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ ।

इस बिन्दु पर विचारोपरान्त सदस्यों की यह आम धारणा थी कि इसके कियान्वयन में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विशिष्ट स्वभाव एवं प्रकृति को देखते हुए कठिनाई प्रकट होगी । अतः उन्होंने इस बिन्दु पर सहमति प्रकट नहीं की । अतएव सदस्यों का मत था कि निदेशक (शैक्षणिक) इस आशय को अभिव्यक्ति देते हुए प्रबन्ध-मण्डल के विचारणार्थ इस मंतव्य को प्रस्तुत करें ।

बिन्दु संख्या : 23/05

पाठ्यक्रम विकास समिति द्वारा बी.ए. कार्यक्रम के इतिहास के प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम का नवीन निर्माण अवलोकनार्थ एवं अनमोदनार्थ ।

परिषद ने पाठ्यक्रम विकास समिति द्वारा बी.ए. कार्यक्रम के इतिहास विषयक पाठ्यक्रमों के नवीन निर्माण का अनुमोदन किया ।

बिन्दु संख्या : 23/06

बी.ए. पाठ्यक्रम में 1989 एवं उससे पूर्व हायर सैकण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को बी.ए. में प्रवेश देने बाबत मामला पुनः अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

इस सम्बन्ध में समस्त सदस्यों का यह अभिमत था कि उच्च शिक्षा प्रणाली में समरूपता तथा मानकीयता की दृष्टि से ऐसे विद्यार्थियों को बी.ए. / बी.कॉम. के प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों में ही

अनिवार्यतः प्रवेश दिया जाए । इन्हें बी.ए. / बी.कॉम. के आधार पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

बिन्दु संख्या : 23/07

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.ए. [उत्तराखण्ड] कार्यक्रम की तरह एम.जे.एम.सी. [उत्तराखण्ड] कार्यक्रम के छात्रों से भी पंजीयन शुल्क लिये जाने के बाबत ।

उपर्युक्त बिन्दु का परिषद ने अनुमोदन किया ।

बिन्दु संख्या : 23/08

नये प्रस्तावित पाठ्यक्रम अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ -

[अ] ऐसे सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो आयोजना मण्डल से स्वीकृत हो गये हैं तथा जिनमें पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन प्रस्तावित है :

- I. डेयरी से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये
- II. कुक्कुट से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये
- III. नर्सरी एण्ड प्लांट प्रोपेगेशन से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये
- IV. जल संसाधन प्रबन्धन से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये
- V. उद्यमिता विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये

[ब] ऐसे पाठ्यक्रम जो आयोजना मण्डल से स्वीकृत हुए हैं :

- I. राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम
- II. रक्षा अध्ययन (बी.ए. पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में)
- III. आपदा एवं संकट में प्रबन्धन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

विद्या परिषद के सदस्यों ने इन कार्यक्रमों के प्रवर्तन-आशय पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । उनकी यह भावना थी कि इनके प्रवर्तन से विश्वविद्यालय की लोकप्रियता तथा साख बढेगी, विद्यार्थी संख्या में अभिवृद्धि होगी तथा दूरस्थ शिक्षा की जनोपयोगी छवि में इनसे और निस्सार आएगा ।

माननीय कुलपति महोदय ने डेयरी विकास तथा कृषि विषयक पाठ्यक्रमों की संकल्पना एवं विकास विवरण का उल्लेख करते हुए यह जानकारी दी कि इन शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय ने राज्य के उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों के नियोजन के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सक्रिय मंत्रणा की है । ये प्रस्ताव इन्हीं बौद्धिक प्रयासों का प्रतिफल हैं । उन्होंने यह भी जानकारी दी

कि दिनांक 14 फरवरी, 2001 को जयपुर क्षेत्रीय केन्द्र में हुई उनकी बैठक में जिसमें प्रो. संचेती ने भी भाग लिया था, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने उस सहयोग का आश्वासन दिया था कि वे विषयों के निर्माण के अतिरिक्त प्रायोगिक प्रशिक्षण के.वी.के. तथा अन्य ऐसे केन्द्रों में करवाने की व्यवस्था भी करेंगे। वहाँ विशेष अध्ययन केन्द्र खोले जा सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इन विषयों को लागू करने में विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत मानकों एवं विषय निर्माण अवस्थाओं से पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

वर्ग (अ) में वर्णित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विद्या परिषद ने प्रस्तावित विषय एवं उनकी पाठ्यक्रम विकास समितियों का अनुमोदन किया।

वर्ग (ब) के संदर्भ में परिषद ने पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित विषयों का अनुमोदन किया एवं यह संकल्प व्यक्त किया कि वह इग्नू, नई दिल्ली के रक्षा अध्ययन विषयक तैयारियों से अधिक सक्रियतापूर्वक जुड़ेगी। आपदा प्रबन्धन विषयक पाठ्यक्रम को इग्नू, नई दिल्ली से ग्रहण करने का निर्णय लिया गया। इस विषय में यह सुनिश्चित भी हुआ कि कुलपति महोदय उक्त पाठ्यक्रम के स्थानीय परिवेश में मूल्यांकन तथा तदनुसार संशोधन के लिए एक समीक्षा समिति की नियुक्ति करेंगे। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति विषय के अन्तर्गत पहले से भी कुछ पाठ्यक्रमों का निर्माण संस्कृति एवं पर्यटन पाठ्यक्रम में हो चुका है उनका उपयोग किया जा सकेगा।

डा. चौधरी ने इन पाठ्यक्रमों के प्रवर्तन के लिए परामर्शदाताओं एवं अतिथि संकाय को अनिवार्य प्राथमिकता देने पर बल दिया जिस पर सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। माननीय कुलपति महोदय ने इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर पहले से ही शिक्षा व अन्य विषयों में परामर्श दाताओं की नियुक्ति कर रहा है, उसी क्रम में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए भी राज्य सरकार को लिखा गया है। इन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में भी इसी नीति और चयन को प्राथमिकता दी जायेगी। कुछ सदस्यों ने पुराने पाठ्यक्रमों विशेषतः फसल विज्ञान के विषय में जानकारी चाही जिस पर कुलपति महोदय ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ली थी और उन्होंने बदलते परिवेश में इस कार्यक्रम के अभ्यर्थियों की संख्या बहुत सीमित बताई। इस कारण इस विषय में आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। सदस्यों का एक मत था निदेशक, अकादमी, जब तक कोई परामर्शदाता या अन्य नियुक्ति न हो इन नए पाठ्यक्रमों की प्रगति का संचालन करेंगे।

बिन्दु संख्या : 23/09

मानव अधिकार में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की विषय विकास समिति की अनुशंसाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद ने पाठ्यक्रम की प्रस्तावित विषय-वस्तु का अवलोकन किया। इस विषय में सदस्यों की राय थी कि स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार पाठ्यक्रम में इकाईयों का समुचित समावेश हो तथा इकाईयों के क्रेडिट्स से यथोचित समायोजन हो। विद्या परिषद ने विषय संयोजक को यह निर्देश दिया कि वह इन समस्त विकास कर्मों से माननीय कुलपति महोदय को अवगत कराएं और तदनुसार पाठ्यक्रम का समुचित विकास सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या : 23/10

दिनांक 13-4-2001 को सत्र जुलाई, 2001 के प्रवेश से सम्बन्धित मुद्दों पर निर्णय लेने बाबत माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क गठन, आवेदन प्रपत्र की रूप रेखा एवं उपयोग सम्बन्धी निर्णय लिए गये, जिन्हें माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त निर्णय अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद ने उपर्युक्त अनुशंखाओं का अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या : 23/11

पत्रकारिता में स्नातक पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करने का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ तथा इस कार्य हेतु समिति गठन का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

विद्या परिषद ने नवीनीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ समिति में एक सदस्य दूरस्थ शिक्षण संस्था से तथा दूसरा मीडिया से मनोनीत करने का सुझाव भी परिषद ने अंगीकार किया। यह निर्णय लिया गया कि विषय संयोजक इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय से उपरोक्त मनोनयन सुनिश्चित कराएंगे जिन्हें परिषद ने इस कार्य के लिए अधिकृत किया है।

बिन्दु संख्या : 23/12

- [अ] इण्टर-एक्टिव रेडियो काउंसलिंग की अब तक हुई प्रगति का विवरण अवलोकनार्थ।
- [ब] इण्टर एक्टिव रेडियो काउन्सलिंग के ऑडियो कैसेट्स का सम्पादन करवा कर उसे श्रव्य पाठ्य सामग्री के रूप में वितरित करने बाबत मामला एवं सम्पादन की दरें अन्य खुला विश्वविद्यालय के समकक्ष करने बाबत मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

अ. इण्टर-एक्टिव रेडियो काउंसलिंग की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बारे में कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया तथा यह भी सूचित किया गया कि वि.वि. ने दूरदर्शन द्वारा भी काउंसलिंग शुरू कर

दी है जिसका पहला प्रसारण डी.डी. 1 पर 23 मार्च, 2001 को हो चुका है। उस काउंसलिंग का विषय "राजस्थान में पर्यटन" था।

ब. इण्टर-एक्टिव रेडियो काउंसलिंग के ऑडियो कैसेट्स का संपादन करवा कर उसे श्रव्य पाठ्य सामग्री के रूप में वितरित करने का मामला वि.परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि कैसेट सम्पादन की मानदेय दरें आकाशवाणी, ई.एम.पी.सी., इग्नू तथा प्रसार भारती से मंगवाकर निर्धारित की जाएंगी।

बिन्दु संख्या : 23/13

स्ट्राइड के अर्न्तगत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद द्वारा द्वारा उपरोक्त बिन्दु का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या : 23/14

नये बन रहे पाठ्यक्रमों की प्रगति का विवरण अवलोकनार्थ।

- I. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम
- II. कम्प्यूटर अवेयरनेस एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फोर बिगनर्स पाठ्यक्रम
- III. सी.आई.सी. पाठ्यक्रम

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त नये बन रहे पाठ्यक्रमों की प्रगति विवरण पर संतोष व्यक्त किया गया! पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम के बारे में निदेशक, संकाय का मत था कि पाठ्यक्रम की संरचना, ब्लॉक, क्रेडिट आदि के बारे में यथोचित उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में डा. अनाम जैतली का मत था कि वि.वि. में विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस तरह की समस्याएं विद्यमान हैं, जिनका निस्तारण किसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है! डा. चौधरी का मत था कि वि.वि. द्वारा इस विषय में एक क्रेडिट पुनर्निर्धारण समिति का गठन किया जाए जो इस तरह की समस्याओं का समाधान करें तथा विविध पाठ्यक्रमों में इकाई व क्रेडिट को मानकीय रूप प्रदान करे। विद्या परिषद ने उक्त समिति के गठन के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कम्प्यूटर से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के बारे में श्री राकेश शर्मा ने बताया कि सी.आई.सी. पाठ्यक्रम इग्नू से लिया जा रहा है जो अन्तिम अवस्था में है तथा पाठ्यक्रम सामग्री आनेवाली है! कम्प्यूटर सम्बन्धित दूसरे पाठ्यक्रम के बारे में श्री राकेश शर्मा ने अवगत कराया कि कम्प्यूटर अवेयरनेस एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फोर बिगनर्स पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम विकास कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है तथा निकट भविष्य में उसके बहुत जल्दी पूर्ण होने की आशा है। परिषद ने इस प्रगति विवरण के प्रति संतोष व्यक्त किया।

बिन्दु संख्या : 23/15

काउन्सलर्स को देय मानदेय की दरों में वृद्धि करने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सूचना के अभाव में प्रस्ताव वापस लिया गया।

बिन्दु संख्या : 23/16

DCO पाठ्यक्रम में देय विशेष अध्ययन केन्द्र को कम्प्यूटर किराया भुगतान पंजीकृत छात्रों की संख्या के अनुसार दिये जाने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सदस्यों ने इस सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया। विद्या परिषद ने इस विषय में परिषद के पूर्व निर्णयों (16/25) के अनुरूप इग्नू के इसी पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्डों के कम में इस बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। तदनुसार इस बात पर बल दिया गया कि प्रायोगिक कार्य में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हो तथा इसमें भाग न लेने वाले विद्यार्थियों से परवर्ती प्रायोगिक कार्यक्रम के लिए आधा शुल्क वसूल किया जाए। प्रायोगिक कार्य की सम्पन्नता के बाद ही विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए।

बिन्दु संख्या : 23/17

बी.ए.पी. कार्यक्रम के सामाजिक विज्ञानों का परिचय (PSS) पाठ्यक्रम में एक इकाई विकलांगता पर जोड़ने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त बिन्दु का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या : 23/18

संकाय में शोध से सम्बन्धित सूचनाएं एवं पारित निर्णय

(अ) पी.एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने वाले छात्रों की सूची अवलोकनार्थ।

(ब) पी.एच.डी. हेतु पंजीकृत हुए छात्रों की सूची अवलोकनार्थ।

उपरोक्त बिन्दुओं का विद्या परिषद द्वारा सकल अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु संख्या : 23/19

बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रगति का विवरण अवलोकनार्थ।

उपरोक्त बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

टेबल एजेण्डा

बिन्दु संख्या : 23/20 - 1

रिसर्च डिग्री कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ!

दिनांक 7/5/2001 को संपन्न रिसर्च डिग्री कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया!

बिन्दु संख्या : 23/20 - 2

विश्वविद्यालय के संकाय विभाग में स्कूल्स् आफ स्टूडीज के गठन का प्रस्ताव अवलोकनार्थ!


प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया! इन स्कूल्स् के गठन, विधान, शक्तियाँ एवं कार्यशैली तथा उसमें निहित विभागों तथा विभागाध्यक्षों की स्थिति, दायित्व एवं भूमिकाओं आदि के प्रावधानों के निर्माण के लिए एक समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । इस समिति के अध्यक्ष -डा. डी.के. चौधरी, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं, इन्दिरा गांधी रा.मु.वि.वि. होंगे ।

बिन्दु संख्या : 23/20 - 3

विश्वविद्यालय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए विविध परीक्षा केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों एवं दरों के अनुरूप भुगतान का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

विद्या परिषद द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्या परिषद की 23वीं बैठक सम्पन्न हुई ।



कुलसचिव  
एवं सदस्य सचिव  
विद्या परिषद



कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा परिशिष्ट-3

विद्या परिषद की 24 वी बैठक दिनांक 28-7-2001 प्रातः 11.00 बजे का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा की विद्या परिषद की 24 वी बैठक दिनांक 28-07-2001 को प्रातः 11.00 बजे, विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ई.एम.पी.सी. भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा,<br>कुलपति, को.खु.वि.वि.,<br>कोटा   | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. डी.के. चौधरी,<br>निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं<br>इ.गों.रा.मु.वि.वि.<br>नई दिल्ली                               | सदस्य   |
| 3. | डॉ. आर.डी. सीनी,<br>निदेशक,<br>राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर  | सदस्य   |
| 4. | प्रो. ए.के. सचेती,<br>पंडित सुन्दरलाल शर्मा सेन्दल<br>इन्सटीट्यूट ऑफ वोकेशनल ऐजुकेशन,<br>एन.सी.ई.आर.टी., भोपाल | सदस्य   |
| 6. | प्रो. एम.डी. अग्रवाल<br>निदेशक संकाय,<br>को.खु.वि.वि., कोटा  | सदस्य   |
| 6. | प्रो. पी.के. शर्मा,<br>आचार्य, प्रबन्ध,<br>को.खु.वि.वि., कोटा  | सदस्य   |
| 7. | डॉ. के.के. खेतान,<br>निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र,<br>को.खु.वि., जोधपुर  | सदस्य   |
| 8. | डॉ. अमृत वालिया<br>निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र,<br>को.खु.वि.वि., जयपुर   | सदस्य   |



~~16~~

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 9.  | डॉ. अनाम जैतली,<br>सह आचार्य, राजनीति शास्त्र,<br>को.खु.वि.वि., कोटा           | सदस्य      |
| 10. | डॉ. एम. के. घडोलिया<br>सह आचार्य, अर्थशास्त्र,<br>को.खु.वि.वि., कोटा           | सदस्य      |
| 11. | डॉ. रमेश जैन,<br>सह आचार्य, पत्रकारिता,<br>को.खु.वि.वि., कोटा                  | सदस्य      |
| 12. | डॉ. एम.एल. गुप्ता,<br>सह आचार्य, शिक्षा,<br>को.खु.वि.वि., कोटा                 | सदस्य      |
| 13. | डॉ. बी.के. शर्मा,<br>सह आचार्य, इतिहास,<br>को.खु.वि.वि., कोटा                  | सदस्य      |
| 14. | डॉ. (श्रीमती) दामिना चौधरी,<br>सहायक आचार्य शिक्षा,<br>को.खु.वि.वि., कोटा      | सदस्य      |
| 15. | डॉ. एच.बी. नन्दवाना,<br>सहायक आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान,<br>को.खु.वि.वि., कोटा | सदस्य      |
| 16. | डॉ. अशोक शर्मा,<br>सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र,<br>को.खु.वि.वि., कोटा        | सदस्य      |
| 17. | डॉ. योगेश शर्मा<br>सहायक आचार्य, विधि,<br>को.खु.वि.वि., कोटा                   | सदस्य      |
| 18. | श्री राकेश शर्मा<br>सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान,<br>को.खु.वि.वि., कोटा     | सदस्य      |
| 19. | श्री एन.एल. चाण्डक<br>कुलसचिव, को.खु.वि.वि., कोटा                              | सदस्य सचिव |

mk-

~~7~~ 2

20. श्री एच.के. मीणा,  
वित्त अधिकारी,  
को.खु.वि.वि., कोटा

विशेष आमंत्रित

निम्नलिखित सदस्यों की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी:-

1. प्रो. दिलबाग सिंह,  
जवाहर लाल नेहरू, वि.वि., नई दिल्ली
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार,  
जयपुर

सर्वप्रथम बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष विद्या परिषद ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। प्रो. सचेती विद्या परिषद में मनोनयन के बाद प्रथम बार उपस्थित हुए थे अतः सभी सदस्यों को उनका परिचय कराया गया एवं विश्वास व्यक्त किया गया कि प्रो. सचेती की विद्या परिषद की बैठक में उपस्थिति से उनके शैक्षणिक क्षेत्र के अनुभवों का लाभ विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद के सदस्यों को विश्वविद्यालय के विकासोन्मुखी किया-कलाओं से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि इस विद्या परिषद में ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे संकाय के ढोंचे में मूलभूत परिवर्तन होगा तथा शोध क्षेत्र में विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। नये मण्डलों के गठन से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यकलाओं को गति मिलेगी।

तदुपरान्त निर्दिष्ट कार्यसूची के अनुसार विद्या परिषद ने विभिन्न विचारणीय बिन्दुओं पर क्रमवार चर्चा प्रारम्भ की थीर उन पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार समुचित निर्णय लिए:-

विद्या परिषद द्वारा 23 वीं बैठक दिनांक 9-5-2001 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना:-

विद्या परिषद ने अपनी दिनांक 9-5-2001 को सम्पन्न हुई 23 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-X-

~~10~~

73

बिन्दु संख्या 24/2

विद्या परिषद की 23 वी बैठक दिनांक 9-5-2001 में लिए गये निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ :-

दिनांक 9-5-2001 को सम्पन्न हुई 23 वीं विद्या परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट का विद्या परिषद ने अवलोकन किया एवं संतोष व्यक्त किया।

-X-

बिन्दु संख्या 24/3

उदयपुर एवं जोधपुर क्षेत्रीय केन्द्रों के अधीन क्रमशः राजकीय महाविद्यालय सिराही एवं श्री लादूराम अग्रवाल गोलछा कॉलेज, खीचन, (फलोधी) में नवीन अध्ययन केन्द्र (सेटेलाईट केन्द्र) खोलने के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

उदयपुर एवं जोधपुर क्षेत्रीय केन्द्रों के अधीन दो अध्ययन केन्द्र क्रमशः राजकीय महाविद्यालय सिराही एवं श्री लादूराम अग्रवाल गोलछा कॉलेज, खीचन (फलोधी) सेटेलाईट केन्द्रों को खोलने के आदेशों का परिषद ने अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

विश्वविद्यालय में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार किया कि अध्ययन केन्द्र या क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का मामला एक इकाई की कार्यशीली में न आकर अनेक इकाईयों की कार्यशीलियों को प्रभावित करने वाला है। अतः इस प्रक्रिया पर विस्तृत ढंग से मनन होना चाहिये। डॉ. डी.के. चौधरी का मत था कि इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भाँति कोटा खुला विश्वविद्यालय (अधिनियम 1987 की धारा 16 के अधीन बने स्टेच्यूट-1 {14} {k} ) में भी वर्णित प्रावधानों के अनुसार अध्ययन केन्द्र खोलने का अधिकार कुलपति महोदय को प्रदत्त अधिकारों में वर्णित है। कुलपति अगर किसी विशेष स्थिति का आकलन करना चाहें तो वह अपनी सुविधा हेतु भविष्य में नये अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं एवं कुलपति फिर निर्णय लेकर उसे विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित करा सकते हैं। सभी सदस्यों ने डॉ. डी.के. चौधरी के मत से सहमति व्यक्त की।



-14-

74

बिन्दु संख्या 24/4

प्रबन्ध पाठ्यक्रम के एम.एस.-8 में परामर्श सत्र (काउन्सलिंग सेशन) की संख्या बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-

प्रबन्ध पाठ्यक्रम के पेपर एम.एस.-8 में काउन्सलिंग सत्र 10 से बढ़ाकर 15 किए जाने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद ने विस्तृत विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि यदि इस पाठ्यक्रम में काउन्सलिंग सत्र बढ़ाये गये तो अन्य पाठ्यक्रमों में भी इसी तरह की माँग हो सकती है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा में वर्णित काउन्सलिंग की धारणा पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः फिलहाल इस बिन्दु को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

-X-

बिन्दु संख्या: 24/5

निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं एवं क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु स्व मूल्यांकन प्रपत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं एवं क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु प्रस्तुत स्व मूल्यांकन प्रपत्र का विद्या परिषद ने अवलोकन किया एवं यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रारूप जो कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इन सेवाओं के लिये काम में लिये जाने वाले प्रारूप जैसा है, में कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के निदेशक, अकादमिक से विचार करके कोटा खुला विश्वविद्यालय की सेवाओं के अनुरूप कुछ आवश्यक परिवर्तन करके इसे लागू कर सकते हैं।

-X-

-20-

75

बिन्दु संख्या : 24/6

निदेशक, (क्षेत्रीय केन्द्र) को यू.जी.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत सी.ए.एस. के लागू हेतु विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदनार्थ:-

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भाँति ही निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को भी यू.जी.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के लागू किये जाने की प्रक्रिया हेतु चयन समिति के लिए निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं द्वारा प्रस्तावित विशेषज्ञों के प्रस्तुत पैनल का विद्या परिषद ने अनुमोदन किया। निदेशक, अकादमिक द्वारा उठाये गये इस बिन्दु को भी स्वीकार किया गया कि भविष्य में संकाय में विद्यमान परम्पराओं की भाँति इनका नया पैनल स्वीकार करते समय क्षेत्रीय निदेशकों से भी सूची माँग ली जाये जिन्हें बाद में निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ संकलित रूप में विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करें।

--X--

बिन्दु संख्या 24/7

विश्वविद्यालय के संकाय में स्कूल ऑफ स्टडीज के गठन बाबत प्रगति विवरण।

कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम के निर्देशों (पृष्ठ 34, 1 स्टेच्यूट्स 20 1&2) की अनुपालना के क्रम में विश्वविद्यालय के संकाय में स्कूल ऑफ स्टडीज के गठन, विधान, शक्तियों एवं कार्यप्रणाली आदि के प्रावधानों के निर्माण के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अभिशंषाओं का विद्या परिषद ने विस्तृत अवलोकन किया एवं उसे अनुमोदन प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय ने डॉ. डी.के. चौधरी समिति द्वारा समय पर प्रारूप प्रस्तुत करने लिए समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया।

--X--

~~24~~

6

76

विन्दु संख्या 24/08

पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद द्वारा एक सदस्य का मनोनयन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद की ओर से एक सदस्य मनोनीत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

--X--

विन्दु संख्या 24/09

शिक्षा सहयोगी को बी.एड. में प्रवेश योग्य मानने बाबत मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ:-

राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी पाठशालाओं नियुक्त में अध्यापकों एवं शिक्षा सहयोगियों की नियुक्तियों के मामले में अध्यक्ष, शिक्षा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं विश्वविद्यालय के एन.सी. टी.ई. के साथ हुए पत्र व्यवहार की पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. प्रवेश की पात्रता हेतु प्रस्तावित निम्न संशोधन को विद्या परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया " All full-time paid teachers serving in Rajasthan (Secondary, Middle, Primary, Rajiv Gandhi Pathshalas, Shiksha sahayogy/Shiksha Karmi ets.) getting salary in a running grade or fixed, swing in Govt. Aided/Recognised schools."

order

--X--

~~77~~

77

बिन्दु संख्या 24/10

एम.एड. पाठ्यक्रम के M.E. -8 (लघुशोध) प्रश्न पत्रों के परीक्षक को रुपये 50/- प्रति छात्र पारिश्रमिक दिये जाने के आदेश अनुमोदनार्थ ।

एम.एड. पाठ्यक्रम के M.E.- 8 (लघुशोध) प्रश्न पत्र के परीक्षक को रुपये 50/- (रुपये पच्चास मात्र) प्रति छात्र दिये जाने हेतु जारी आदेश , क्रमांक 10489-92 दिनांक 12-07-2001 को विद्या परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया

-X--

बिन्दु संख्या 24/11

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के विभिन्न कार्यों एवं पक्षां को नियमित करने हेतु परीक्षा मण्डल के गठन का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति महोदय ने सदस्यों को परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रस्तावित परीक्षा मण्डल के गठन की पृष्ठभूमि एवं उसके महत्व से अवगत कराते हुए यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मॉडलों के अनुरूप वर्ष में दो बार (जून एवं दिसम्बर माह) परीक्षाएँ एवं समय समय पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित कर रहा है एवं परीणाम भी उचित समय पर निकाल रहा है। परीक्षाओं का संचालन न केवल दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बल्कि कुलपति समन्वय समिति के निर्देशों के भी अनुरूप हो रहा है। इन सभी मांगों, शर्तों एवं दबावों से परीक्षा विभाग न केवल अत्यन्त व्यस्त हो गया है बल्कि अतिरिक्त कार्यभार से एक समुचित व्यवस्था की खोज में है। उसके लिए उचित व समय-समय पर एक दिशा निर्देश की आवश्यकता है। उसी क्रम में परीक्षा मण्डल का प्रस्ताव रखा गया है। यह मण्डल विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का त्वरित एवं नियमानुकूल निस्तारण/समाधान करेगा। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित कॉमन एक्ट में भी इस प्रकार के मण्डल का प्रावधान रखा गया है। मण्डल का गठन नीति निर्देशन की दिशा में एक सही कदम होगा।

-23-

8

78



विद्या परिषद ने प्रस्तावित परीक्षा मण्डल के गठन को अनुमोदन प्रदान किया एवं निर्देश दिया कि गठन के बाद उक्त मण्डल परीक्षा संचालन विषयक व्यापक दिशा एवं नीति निर्देश देकर परीक्षाओं की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी, यथा आवश्यक परामर्श तथा परीक्षा विषयक विविध नियुक्तियों आदि हेतु नियम परिनियम आदि तैयार करें। अध्यक्ष, शिक्षा का यह सुझाव था कि मण्डल की कार्यशैली से परीक्षाओं की गोपनीयता भंग न हो, यह ध्यान रखा जाये।

order

विद्या परिषद के सदस्यों का यह भी मत था कि इस मण्डल में एक सदस्य अन्य राज्यों के खुला विश्वविद्यालयों से भी लिया जाए। वह सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी हो सकता है। इन सुझावों को मान लिया गया।

--X--

### बिन्दु संख्या 24/12

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली उपाधियों का अंग्रेजी संस्करण का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली उपाधियों के अंग्रेजी रूपान्तरण / संस्करण के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया। एक लम्बी चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से जारी सभी उपाधियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही रूपान्तरणों में जारी किया जाये। तत्पश्चात् प्रो. सचेती के सुझाव को अन्य सदस्यों ने स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि अब तक जो सामग्री तैयार हो गयी है तथा साथ ही जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, उसकी उपयोगिता उपरान्त एक नयी प्रक्रिया अपनाकर उसके अन्तर्गत एक ही डिग्री के पृष्ठ पर उसके आगे -पीछे के भाग पर हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाये।

on

order

--X--

- ३५ -

विन्दु संख्या 24/13

विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली एम.बी.ए. डिग्री का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

एम.बी.ए. शैक्षणिक कार्यक्रमों को उत्तीर्ण करने पर जारी की जाने वाली उपाधियों के अंग्रेजी रूपान्तरण/ संस्करण के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया।

--X--

विन्दु संख्या 24/14

काश्मीर विस्थापितों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

सदस्यों ने भारत सरकार के शिक्षा सचिव के पत्र का अवलोकन किया एवं निर्णय लिया कि काश्मीर विस्थापितों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान की जाएं एवं साथ ही जिन पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों की बाध्यता है, उनमें पात्रता के नियमों में परिवर्तन किये बिना प्रतियोगिता प्रसिक्षा के आधार पर पत्र की भावना के अनुरूप एक सीट आरक्षित की जाये।

--X--

- १५ -

80

बिन्दु संख्या 24/15

डी.सी.ओ. पाठ्यक्रम में डिफाल्टर छात्रों से रुपये 400/- प्रति प्रायोगिक पाठ्यक्रम वसूलने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

डी.सी.ओ. पाठ्यक्रम में डिफाल्टर छात्रों से इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रचलित नियमों की भाँति रुपये 400/- प्रति प्रायोगिक पाठ्यक्रम वसूलने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को विद्या परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

-x-

बिन्दु संख्या 24/16

नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के विद्या परिषद की पूर्व बैठकों के निर्णय के क्रम में प्रगति विवरण:-

नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के विद्या परिषद के पूर्व निर्णयों के क्रम में बी.एल. आई. एस.सी., डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स एवं कम्प्यूटर अवेयरनेस पाठ्यक्रमों में हुई प्रगति के प्रति विद्या परिषद ने संक्षेप व्यक्त किया।

26

81

बिन्दु संख्या 24/17

बी.ए.पी./बी.सी.पी. की तरह 6 माह के अन्य पाठ्यक्रमों का प्रवेश कार्य अध्ययन केन्द्रों पर किये जानू बावत् प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

बी.ए.पी./बी.सी.पी./ की भौति छः माह की अवधि वाले अन्य पाठ्यक्रमों का प्रवेश कार्य जनवरी, 2002 से अध्ययन केन्द्रों पर सम्पन्न किये जाने के प्रस्ताव एवं अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित कर्मचारी को इस कार्य के लिए पूर्व निर्णय की भौति ही 5/- रुपये सेवा शुल्क दिये जाने के प्रस्ताव को विद्या परिषद ने अनुमोदित किया।

order

-X-

बिन्दु संख्या 24/18

विश्वविद्यालय में शोध नियमों को व्यवस्थित करने के लिए RDC (Research Degree Committee) का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

सदस्यों ने रिसर्च डिग्री कमेटी की दिनांक 26-7-2001 की बैठक में पारित (सं. 4) नये शोध नियमों के प्रारूप को अनुमोदित किया तथा साथ ही उक्त बैठक में लिये गये अन्य निर्णयों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कुलपति महोदय ने नये शोध नियमों के निर्माण के लिए प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा समीति, संकाय के निदेशक एवं संकाय सदस्यों को धन्यवाद प्रस्तुत किया।


order

बिन्दु संख्या 24/19-1

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित उपाधियों के अधिसूचित नामकरण से भिन्न नामकरण पर राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र दिनांक 1-6-2001 अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपाधियों के अधिसूचित नामकरण से भिन्न नामकरण वाले विश्वविद्यालयों में प्रचलित उपाधियों के नामकरणों को यथावत रखने के मामले में यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विषय संयोजक (बी.जे.एम.सी. एवं एम.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम) यू.जी.सी. कार्यालय से सम्पर्क कर विश्वविद्यालय में प्रचलित उपाधियों के नामों को अधिसूचित कराने का एक माह में प्रयास करें। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो विश्वविद्यालय में प्रचलित उक्त पाठ्यक्रम के नामकरण को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधिसूचित नामकरणों के अनुरूप ही बदलने की कार्यवाही की जावे।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

  
कुलसचिव  
एवं सदस्य सचिव  
विद्या परिषद,  
कोटा सुता विश्वविद्यालय, कोटा

13

- 28 -

83

what  
happened

# कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

परिशिष्ट-4

विद्या परिषद की 25 वीं बैठक दिनांक 12.12.2001 प्रातः 11.00 बजे  
का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा की विद्या परिषद की 25 वीं बैठक दिनांक 12.12.2001 को प्रातः 11 बजे, विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ई.एम.पी.सी भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा  
कुलपति, को.खु.वि.  
कोटा - अध्यक्ष
2. प्रो. डी.के. चौधरी  
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ  
इ.गा.रा.मु.वि.वि.  
नई दिल्ली - सदस्य
3. प्रो. पी.के. शर्मा  
आचार्य, प्रबंध  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य
4. डा. के.के. खेतान  
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य
5. डा. अनाम जेटली  
सह आचार्य, राज.वि.,  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य
6. डा. एम.के. घडोलिया  
सह आचार्य, अर्थशास्त्र  
को.खु.वि., कोटा - सदस्य

- 29 -

7. डा. रमेश जैन - सदस्य  
सह आचार्य, पत्रकारिता  
को.सु.वि., कोटा
8. डा. बी.के. शर्मा - सदस्य  
सह आचार्य, इतिहास  
को.सु.वि., कोटा
9. डा. एच.बी. नन्दवाना - सदस्य  
सहायक आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान  
को.सु.वि., कोटा
10. डा. अशोक शर्मा - सदस्य  
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान  
को.सु.वि., कोटा
11. श्री योंगेश शर्मा - सदस्य  
सहायक आचार्य, विधी  
को.सु.वि., कोटा
12. श्री राकेश शर्मा - सदस्य  
सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान  
को.सु.वि., कोटा
13. श्री एन.एल. चाण्डक - सदस्य सचिव  
कुलसचिव  
को.सु.वि., कोटा
14. श्री एच.के. गीणा - विशेष आगन्तित  
वित्त अधिकारी  
को.सु.वि., कोटा

निम्नलिखित सदस्यों बैठक की बैठक में सहभागिता सम्भव नहीं हो सकी -

1. प्रो. दिलबाग सिंह, जवाहर लाल नेहरू वि.वि., नई दिल्ली
2. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर,
3. डा. आर.डी. सेनी, निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

4. प्रो. ए.के. सचेती, पंडित सुन्दरलाल शर्मा सेन्ट्रल, इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल एज्युकेशन, भोपाल
5. प्रो. एम.डी. अग्रवाल, निदेशक, सकाय, को.खु.वि., कोटा
6. डा. अमृत वालिया, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि., जयपुर
7. डा. एम.एल. गुप्ता, सह आचार्य, शिक्षा, को.खु.वि., कोटा
8. डा. (श्रीमती) दामिना चौधरी, सहायक आचार्य, शिक्षा, को.खु.वि., कोटा।

प्रारम्भ में परिषद के अध्यक्ष एवं कुलपति प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक कलेन्डर में निर्धारित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी दी कि 24 वीं विद्या परिषद के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि इस अवधि में प्रबन्ध मण्डल की बैठक नहीं आयोजित हो पायी। "उन्होंने रीचिंग दि अनरीचर्ड" योजना के अर्न्तगत उत्सवों एवं पर्वों पर दूरस्थ शिक्षा कार्यों के प्रसार एवं प्रचार के लिए विविध मेलों में लगाई गई विश्वविद्यालय की स्टॉल के सफलतापूर्वक संचालन का विवरण भी प्रस्तुत किया। इस नए परन्तु पारम्परिक शैली के प्रयत्न की सफलता इस बात से प्रमाणित होती है कि कोटा के दशहरे मेले में लगी स्टॉल में लगभग 20,000 आगंतुकों ने दूरस्थ शिक्षा की जानकारी ली। विश्वविद्यालय को मेला प्रबन्ध समिति द्वारा इस प्रयास हेतु विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय ने इन प्रयासों के लिये परिषद की ओर से सम्बन्धित इकाईयों व प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्कर एवं दिल्ली में ऐसे अवसरों पर लगाई गई स्टॉल का विवरण भी प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अगले वर्ष के प्रारम्भिक महिनों में कभी भी द्वितीय दीक्षासप्त समारोह आयोजित कर सकता है।



अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर यह भी जानकारी दी की दूरस्थ शिक्षा परिषद तथा इग्नू के साथ मिलकर विश्वविद्यालय आगामी 8-9 मार्च, 2002 को "जनोत्थान हेतु दूरस्थ शिक्षा" विषय पर एक सेमिनार आयोजित करेगा। इस अवसर पर दूरस्थ शिक्षा परिषद देश के खुले / मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की विशेष बैठक भी आयोजित करेगा। सदस्यों ने इन जानकारियों के विवरण पर हर्ष अभिव्यक्त किया।

तदुपरान्त निर्धारित कार्यसूची के अनुसार विद्या परिषद ने विभिन्न विचारणीय बिन्दुओं पर क्रमवार चर्चा प्रारम्भ की और उन पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार समुचित निर्णय लिये -

25/1: दिनांक 28/7/2001 को सम्पन्न विद्या परिषद की 24वीं बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु।

---X---

विद्या परिषद ने दिनांक 28 जुलाई 2001 को सम्पन्न हुई अपनी 24 वीं बैठक के कार्य विवरण की पुष्टि की।

-XXX-

25/2: दिनांक 28/7/2001 को सम्पन्न विद्या परिषद की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

---X---

दिनांक 28.7.2001 को सम्पन्न हुई 24 वीं विद्या परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट का सदस्यों ने अवलोकन किया एवं उस पर संतोष व्यक्त किया। इसमें 24/8, 24/11, 24/13, 24/17 एवं 24/19.1 के बिन्दु ही रखे गये थे। बाकी बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों की प्रतीक्षा है।

-XXX-

25/3: शिक्षकों के वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रपत्र इस विश्वविद्यालय में भी इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रपत्रों के अनुरूप करने बाबत गठित समिति की अभिशंषाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---X---

सदस्यों ने इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की और अंततः यह सर्वसम्मत निर्णय लिया कि कमेटी द्वारा शिक्षकों के लिए प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन प्रपत्र जो कि मूल रूप से इग्नू में प्रचलित प्रपत्र के अनुरूप है पर मत जानने के लिए उसे संकाय सदस्यों को वितरित किया जायेगा एवं प्राप्त सुझावों को पुनः सम्बंधित समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। यह समिति अपनी अनुशंसा अगली विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी। कमेटी में दो और नये सदस्य होंगे। जो निम्न है -

1. डा. के.के. खेतान,
2. डा. एच.वी. नन्दवाना।

01

- 33 -

What happened

इस अवधि तक विद्या परिषद में प्रस्तुत स्व मूल्यांकन प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा ताकि केरियर एडवान्समेंट योजना को लागू करने में कोई अवरोध न हों। नया स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रपत्र का स्थान ले लेगा।

-XXX-

- 25/4: (A) विश्वविद्यालय में हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
- (B) उर्दू में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने बाबत मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

what happened

---X---

प्रस्ताव (A) एवं (B) अनुमोदित किये गये। इन विषयों को चलाने के लिये सरकार से पदों की मांग की जायेगी।

-XXX-

25/5:- वी.ए. / वी.कॉम. के आधार पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर शिक्षा की पाठ्यक्रम विकास समिति की रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

what happened

---X---

सदस्यों ने समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया एवं संतोष व्यक्त किया।

mf

-XXX-

- 24 -

25/6:- डी.एन.एच.ई. पाठ्यक्रम के चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सफलतापूर्वक लागू करने एवं गाइड का मानदेय रुपये 100/- से बढ़ाकर 200/- किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---X---

*order* इस प्रस्ताव का निर्णय एक समिति करेगी जिसमें सभी पाठ्यक्रमों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जा सकेगा। समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

-XXX-

25/7:- राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में कोटा खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा एक सदस्य का मनोनयन करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---X---

*m* मनोनयन के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

-XXX-

- 25 -

90

25/8:- विभिन्न पाठ्यक्रमों के परामर्श सत्रों की अवधि एवं परामर्शदाताओं [काउन्सलर्स] को देय मानदेय की असमानताओं को दूर करने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---X---

इस दिन्दु पर सदस्यों ने विस्तार से विचार किया एवं कई सम्भावनाएं व्यक्त की। सभी पक्षों को सुनने के बाद विषय की गम्भीरता को समझते हुये यह निर्णय लिया गया कि एक समिति डा. डी.के. चौधरी की अध्यक्षता में तय की जायेगी जिसमें निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं सदस्य होंगे। निदेशक, अकादमिक एवं क्षेत्रीय निदेशक के रूप में डा. के.के. खेतान अन्य सदस्य होंगे।

-XXX-

25/9:- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रेडियो काउंसलिंग कार्यक्रमों का प्रगति विवरण अवलोकनार्थ।

---X---

सदस्यों ने रेडियो काउन्सलिंग प्रगति पर हर्ष व्यक्त किया और दूरस्थ शिक्षा की दृष्टि से इसे एक उपलब्धि बताया। सदस्यों ने आकाशवाणी पर एक अन्य काउंसलिंग कार्यक्रम, राजस्थानी दूरदर्शन पर काउंसलिंग के प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति दी तथा एफ.एम. चैनल की सुविधायुक्त टू-इन-वन रेडियो सेट पर वित्त समिति द्वारा उसकी 26 वी बैठक में लिये गये निर्णयों पर अपनी सहमति व्यक्त की।

-XXX-

- 36 -

91

25/10:- बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक विषयों के चयन को तार्किक एवं सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---X---

order / प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का विद्या परिषद ने अनुमोदन किया। वर्ष 2000 से पूर्व के ऐसे विद्यार्थी जो तीन विषयों की पात्रता नहीं पूरी करते और जिनकी अंकतालिकाएं इस कारण रुकी हुई हैं, उनकी अंकतालिकाएं जारी करने तथा उन्हें यथासमय उपाधि देने का विद्या परिषद ने निर्देश दिया।

-XXX-

25/11:- विश्वविद्यालय के परीक्षा मण्डल की दिनांक 28.11.2001 को सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---X---

9 / सदस्यों ने परीक्षा मण्डल की प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया। साथ ही सदस्यों ने इस नये प्रयास के लिये प्रशासन को बधाई दी।

-XXX-

25/12:- द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित करने बाबत मामले अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

8 (अ) स्वर्ण पदक देने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

8 (ब) जून 2001 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिप्लोमा / उपाधियों प्रदान करने के क्रम में ग्रेस पास करने बाबत।

-37-

(स) मानद उपाधि दिये जाने का मामला विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

---X---

(अ) विद्या परिषद ने अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

(ख) जून 2001 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिप्लोमा / उपाधियाँ प्रदाज करने के क्रम में ग्रेस पास को प्रस्तावित एवं परम्परागत कार्यक्रम के अनुसार अनुमोदित किया।

(स) मानद उपाधि के लिए परिषद ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वे महामहिम कुलाधिपति महोदयसे इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके निर्णय लें।

-XXX-

टबल एजेण्डा

25/13

पी. बी.एड. टेस्ट जून 2001 की विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में गठित समिति की अभिशंघाएँ अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---X---

प्रकरण से सम्बन्धित 'पेपर सेटर' को परीक्षा कार्य से सदैव के लिये वंचित करने का विद्या परिषद ने निर्णय लिया तथा उस निर्णय की व्यापक सूचना-प्रबन्ध का निर्देश दिया।

-XXX-

- 38 -

93

25/14

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त दिशा निर्देश अवलोकनार्थ एवं आगामी निर्देशार्थ।

---x---

विद्या परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध स्रोतों एवं मानव संसाधन के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया ताकि स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का समावेश हो सकें।

-xxx-

25/15

कोटा खुला विश्वविद्यालय के संकाय में व्यवस्थित विभिन्न विषय संयोजक / प्रभारी का कार्यकाल 'रोटेशन पद्धति' पर करने हेतु मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

सदस्यों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं स्कूल ऑफ स्टडीज को अस्तित्व में लाने के दौरान इस प्रस्ताव को भी यथाक्रम लागू करने का निर्देश दिया। रोटेशन प्रणाली में विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिये कुलपति महोदय को एक कमेटी बना कर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया।

-xxx-

- 39

94



कार्यसूची बिन्दु संख्या 25/16


स्नातक उपाधि कार्यक्रम में निर्धारित अवधि (दस वर्ष) समाप्त होने के पश्चात पुनः पंजीयन के बारे में स्पष्टीकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसे वांछनीय लचीलेपन के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। परिषद ने यह भी निर्देश दिया कि 10 वर्ष की अवधि समाप्ति से पूर्व विश्वविद्यालय सम्बन्धित विद्यार्थियों को उनकी अवधि समाप्ति की पूर्व सूचना दे ताकि वे इस दिशा में यथा समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

-xxx-

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्या परिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

  
कुलसचिव एवं  
सदस्य सचिव  
विद्या परिषद

-40-

95

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय  
राजस्थान  
कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
रावतभाटा रोड़, कोटा राजस्थान

विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2004 अपरान्ह 2.00 बजे ई.एम.पी.सी. भवन विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न का कार्यवाही विवरण।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की 26 वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2004 को अपरान्ह 2.00 बजे ई.एम.पी.सी. भवन विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न लिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | डॉ. आर.वी. व्यास<br>कुलपति, व.म.खु.वि.वि., कोटा  | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. पी.के. शर्मा,<br>आचार्य, प्रबन्ध विभाग<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा                            | सदस्य   |
| 3. | डॉ. बी.के. शर्मा<br>सह आचार्य, इतिहास विभाग<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा                             | सदस्य   |
| 4. | डॉ. एल.आर. गुर्जर,<br>सह. आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा                | सदस्य   |
| 5. | डॉ. श्रीमती कमलेश शर्मा<br>सह. आचार्य, इतिहास विभाग,<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा                    | सदस्य   |
| 6. | डॉ. श्रीमती दामिना चौधरी<br>सह. आचार्य, शिक्षा विभाग,<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा                   | सदस्य   |
| 7. | डॉ. एच.बी. नन्दवाना<br>सह आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान<br>विभाग,<br>व.म.खु.वि.वि., कोटा | सदस्य   |

8. डॉ. अशोक शर्मा  
सह. आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
9. डॉ. दिनेश गुप्ता,  
सह. आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान  
विभाग,  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
10. श्री योगेश शर्मा  
सहा. आचार्य, विधि विभाग,  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
11. श्री राकेश शर्मा  
सहा. आचार्य, कम्प्यूटर विभाग  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
12. श्री सुधीर खेर  
सहा. आचार्य, विधि विभाग  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
13. डॉ. जे.के. शर्मा.  
सहा. आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
14. डॉ. आर.के. जैन,  
सहा. आचार्य, प्रबन्ध विभाग,  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
15. डॉ. आर.सी. मीणा  
निदेशक, क्षे.केन्द्र,  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य
16. डॉ. एस.एन. अम्बेडकर  
निदेशक, क्षे.केन्द्र,  
व.म.खु.वि.वि., अजमेर सदस्य
17. कुलसचिव  
व.म.खु.वि.वि., कोटा सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्यों की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी:-

1. प्रो. ए.आर. खान, इ.गा.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली ।
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर
3. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा, आचार्य, व.म.खु.वि.वि., कोटा
4. प्रो. एम.डी. अग्रवाल, आचार्य, व.म.खु.वि.वि., कोटा
5. प्रो. अनाम जैतली, आचार्य, व.म.खु.वि.वि., कोटा
6. प्रो. एम.के. घडोलिया, आचार्य, व.म.खु.वि.वि., कोटा
7. डॉ. करण सिंह, सह. आचार्य, "विशेष आमंत्रित" व.म.खु.वि.वि., कोटा

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में सभी आगन्तुक सदस्यों का स्वागत किया तथा उन सदस्यों को धन्यवाद दिया जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का भी स्मरण किया ।

विद्या परिषद् की विगत बैठक दिनांक 12-12-2001 को आयोजित की गई थी। कुलपति के विचार में विद्या परिषद् की बैठकें इतने लम्बे अंतराल से नहीं होनी चाहिए। लम्बे अंतराल से शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति रुक जाती है। भविष्य में सामान्यतया साल में कम से कम तीन और अधिक से अधिक चार बैठकें किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कि शैक्षणिक क्रियाकलापों को समुचित गति मिल सके।

इसके पश्चात् निर्धारित कार्यसूची के अनुसार विद्या परिषद् ने विभिन्न विचारणीय बिन्दुओं पर कमवार चर्चा प्रारम्भ की और उन पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिए :-

26/1 विद्या परिषद की 25वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ

-----

विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक दिनांक 12-12-2001 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा गया। सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया कि कार्यवाही विवरण पर समयावधि के भीतर कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है अतः इन्हें अनुमोदित माना जावे।

कुछ सदस्यों ने कार्यवाही विवरण में बिन्दु संख्या 25/15 के विषय में निर्णयों को गलत रूप से अंकित किये जाने का प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालय को इस बारे में एक ज्ञापन दिया है इसका भी उल्लेख किया ।

अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि चूँकि निश्चित समयावधि में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कार्यवाही विवरण को अनुमोदित माना जावे। सदस्य चाहे तो अपनी समस्याएँ अन्य बिन्दु के रूप में रख सकते हैं।

26/2 विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ ।

विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालना प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने बिन्दु संख्या 25/12 के विषय में सुझाव दिया कि जब भी किसी विद्वान को विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह में डी.लिट् की मानद उपाधि से सम्मानित करे तो ऐसे सदस्य का नाम यथा संभव पहले विद्या परिषद् में विचार विमर्श के लिए रखा जाना चाहिए। सुझाव स्वीकार कर लिया गया।

सदस्यों ने बिन्दु संख्या 25/15 के सन्दर्भ में कहा कि 25 वीं बैठक में कुलपति महोदय को रोटेशन की व्यवस्था करने के लिए समिति गठित करने का अधिकार दिया गया था न कि उसकी अनुशंषाएं लागू करने का। सदस्यों ने यह भी कहा कि समिति की रिपोर्ट अभी तक किसी भी विभाग या सदस्यों को नहीं दिखाई गई है।

अध्यक्ष ने समिति की रिपोर्ट सभी विभागों को भिजवाने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात् आवश्यक हुआ तो इस पर पुनःविचार विचार किया जायेगा।

26/3 बी.एड. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विचारणीय बिन्दु :-

26/3 (i) बी.एड. के पुराने सत्रों की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम सम्बन्धी अपूर्ण कंपोनेंट्स (सम्पर्क शिविर की उपस्थिति में कमी, प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थिति अथवा अनुत्तीर्ण या प्रश्न-पत्रों के आंतरिक मूल्यांकन का अभाव) के कारण रूके हुए परीक्षा परिणामों को पूर्ण करने हेतु विशेष सम्पर्क शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करने बावत् प्रस्ताव।

सभी पक्षों पर विचार कर विद्या परिषद् ने यह निर्णय लिया कि दिसम्बर, 2004 तक शिक्षा विभाग सभी कम्पोनेंट्स पूरे करने की व्यवस्था कर कार्य समाप्त कर दे। इस के बाद इस पर कोई विचार नहीं होगा और न ही यह प्रकरण पुनः विद्या परिषद् में विचारार्थ रखा जायेगा।

26/3 (ii) बी.एड. सम्पर्क शिविर में मुख्य समन्वयक एवं समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले सत्रों की संख्या निर्धारण बाबत गठित समिति की अनुशंसाएं अवलोकनार्थ एवं इस क्रम में जारी कार्यालय आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

सभी माननीय सदस्यों ने समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर इसे अनुमोदित कर दिया।

26/3 (iii) बी.एड. पाठ्यक्रम का पूर्व में करवाये गये नवीनीकरण के कोर्स राइटर्स के पारिश्रमिक भुगतान किये जाने का प्रकरण निर्णय हेतु।

यह निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम के नवीनीकरण का जो भी कार्य हुआ वह विश्वविद्यालय के ही आदेश से हुआ है इसलिये भुगतान नहीं रोक जा सकता किन्तु कोर्स राइटर्स को उसी पाठ्यक्रम का एडिटर नहीं माना जा सकता। किसी एक पाठ्यक्रम के एक ही लेखक एवं संपादक होने की स्थिति में किसी एक ही कार्य का भुगतान देय होगा। लेखकों के हित को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया कि जो अधिक राशि (As writer or editor) बने उसका भुगतान कर दिया जाये।

विषय संयोजक शिक्षा को सुझाव दिया गया कि शिक्षा विभाग कोर्स के नवीनीकरण के लिए शीघ्र कार्यवाही करे।

26/3 (iv) बी.एड. पाठ्यक्रम का एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप पुनरावलोकन हेतु।

बी.एड. पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के प्रश्न-पत्र जोड़ने का भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। कम्प्यूटर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों में से उपयुक्त कोर्स चुनकर बी.एड. पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जावेगा। इसी प्रकार पर्यावरण का भी एक पाठ्यक्रम यदि संभव हो तो वह विश्वविद्यालय के बी.ए. पाठ्यक्रम में जोड़े जाने का भी निर्णय लिया गया। यदि विभाग आवश्यक समझे तो अपने स्तर पर पर्यावरण का नया पाठ्यक्रम बना सकता है। ।

MCTC  
राज्य सरकार  
की अनुशंसाएं  
क्या थीं?

अनुमोदित की गयी (संकेत)

26/3 (v) बी.एड. पाठ्यक्रम के दोनों सम्पर्क शिविरों में 80 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धित पूर्णता पर विचार।

*order*  
यह निश्चित किया गया कि दोनों सम्पर्क शिविरों को मिलाकर 80 प्रतिशत उपस्थिति छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। इसमें एक दिन की भी छूट किसी प्रकार से नहीं दी जावेगी। जो छात्र 80 प्रतिशत की उपस्थिति पूर्ण नहीं कर सकेंगे उन्हें पुनः दोनों सम्पर्क शिविरों में उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी।

26/3 (vi) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्शदाताओं से विचार विमर्श हेतु दिनांक 8 एवं 9 जनवरी, 2004 को अध्यक्ष शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुशंषाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सदस्यों का विचार था कि परामर्शदाताओं के साथ किये गये विचार विमर्श के बिन्दुओं को सीधा विद्या परिषद् में विचार हेतु नहीं रखा जा सकता। इस तरह के प्रस्तावों को सम्बन्धित विद्यापीठ के मण्डल की बैठक में विचार करने के पश्चात् विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

पी.टी.ई.टी. सैल के गठन के प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय को सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।

26/4 नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने बाबत विचारणीय बिन्दु।

(i) पंचायती राज प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

*96*  
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक पंचायती राज प्रोजेक्ट का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है इसे राजस्थान में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जावेगा। विद्या परिषद् ने आगामी जुलाई सत्र से इस सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को लागू करने का अनुमोदन किया गया। इस के लिए गठित समिति की अनुशंषाओं को विद्या परिषद् ने स्वीकार किया साथ ही साथ दो सुझाव दिये (1) पंजीकरण शुल्क 100/- रुपये के स्थान पर प्रोग्राम फीस 150/-रुपये ली जावेगी। (2) आवेदन-पत्र निशुल्क न होकर 5/-रुपये की कीमत पर विक्रय किया जावेगा।

26/4 (ii) साउथ एशिया फाउन्डेशन के पाठ्यक्रम "प्रोटेक्शन ऑफ एन्वायरमेन्ट एण्ड स्टेनेबल डवलपमेन्ट" इग्नू का प्रस्ताव अवलोकनार्थ।

पत्र संख्या 1

प्रस्तावित पाठ्यक्रम को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में लागू किया जाये। इस पर विद्या परिषद् ने अपनी सहमति प्रदान की। यदि पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यकता हो तो विधि विभाग के श्री योगेश शर्मा की सेवार्यें भी ली जा सकती है।

26/4 (iii) उर्दू का पाठ्यक्रम बी.ए. में सम्मिलित करने बाबत।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

26/4 (iv) उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने बाबत।

माननीय कुलपति महोदय को दो-तीन उर्दू विद्वानों की एक समिति गठित कर सर्टिफिकेट कोर्स की रूप-रेखा बनवाने का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जावे किन्तु सम्बन्धित विद्यापीठ के निदेशक पाठ्यक्रम के संयोजक का कार्य करेंगे। विद्या परिषद् को यह भी सूचित किया गया कि उर्दू में एक परामर्शदाता रखने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

26/4 (v) सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार पर्यावरण के पाठ्यक्रम को बी.ए. इलेक्टिव में सम्मिलित करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में बी.ए. इलेक्टिव पाठ्यक्रम में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के "मानव पर्यावरण" के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह ऐप्लीकेशन ओरियन्टेड कोर्स के वर्ग में होगा।

अनुशासक (विधि विभाग)  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय  
कोटा

2/1



26/4 (vi) विश्वविद्यालय में "पाली-प्राकृत" भाषा का पाठ्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

विद्या परिषद् ने "पाली-प्राकृत" भाषा के पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को दो - तीन विद्वानों की एक समिति का गठन कर कार्यक्रम प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकृत किया। समिति के एक सदस्य निवर्तमान प्रो. आर.के. जैन (पत्रकारिता पाठ्यक्रम वाले) रहेंगे।

26/5 पुनःपंजीयन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

पुनः पंजीयन के सम्बन्ध में गठित समिति का कार्यवाही विवरण अनुमोदित किया गया।

26/6 बी.एड. एवं प्रबन्ध पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के पेपर सेटर्स के मानदेय के सम्बन्ध में परीक्षा बोर्ड के निर्णय के क्रम में जारी आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

बी.एड. एवं प्रबन्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के पेपर सेटर्स के मानदेय के सम्बन्ध में परीक्षा बोर्ड के निर्णय को अनुमोदित किया।

26/7 साउथ एशिया फाउन्डेशन फेलोशिप "मदनजीत सिंह फेलोशिप" का प्रस्ताव अवलोकनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि साउथ एशिया फाउन्डेशन हमारे विश्वविद्यालय में "मदनजीत सिंह फेलोशिप" के नाम से छात्रवृत्तियां प्रदान करना चाहती है। इस सन्दर्भ में साउथ एशिया फाउन्डेशन की विद्या परिषद् की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत वर्ष में इन छात्रवृत्तियों का वितरण तथा इनकी नियमावली इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तैयार कर सभी प्रान्तीय खुले विश्वविद्यालयों को भेजे। इस के अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को 300 यू.एस. डालर प्रति वर्ष के हिसाब से छात्रवृत्तियों दी जावेगी। हमारा दावा सबल रूप से प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक तथ्यात्मक विवरण इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयको भेज दिया गया है।

अनुशासक (विद्या परिषद्)

व्यंगम

कोष

8

103

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में साउथ ऐशिया फाउन्डेशन की छात्रवृत्तियों को प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

26/8 शोध छात्रों की फीस संरचना का निर्णय सूचनार्थ ।

शोध छात्रों की फीस सम्बन्धी समिति की अभिशंषाओं को विद्या परिषद् ने अनुमोदित किया। किन्तु विद्या परिषद् ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पूर्व की भाँति फीस में छूट जारी रखना चाहिए।

शोध कार्य हेतु शिक्षकों / परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान पुनः निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति बनाकर तय करने का निर्णय लिया गया।

26/9 द्वितीय दीक्षान्त समारोह के पश्चात् शोध छात्रों को उपाधि प्रदान करने बाबत प्रस्ताव।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा शोध विषय व संकाय के अंकन एवं टाइपिंग सम्बन्धी गलतियाँ ठीक करने का सुझाव दिया। तदुपरान्त शोध छात्रों को उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

पिछले कुछ वर्षों में शोध नियमों की अस्पष्टता के कारण व्याप्त असंगतियों को दूर करने हेतु शोध नियमों को पुनः बनाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय कुलपति महोदय इस समिति का गठन करेंगे जिसमें एक-दो उच्च स्तरीय वाह्य विद्वानों के साथ आंतरिक रूप से प्रो. पी.के. शर्मा, डॉ. बी.के. शर्मा व डॉ. अशोक शर्मा को रखा जायेगा। शोध प्रकोष्ठ निदेशक, इस समिति के सचिव होंगे। यह समिति शीघ्रतिशीघ्र अपनी अनुशंषाएं देगी।

26/10 अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों के नियम में क्रेडिट ट्रांसफर करने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि समिति के द्वारा इस पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर आगामी बैठक में रखा जावे।

26/11 दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष का पत्र एक राज्य में एक ही जगह दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने बाबत।

विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष के पत्र पर प्रसन्नता व्यक्त की और चाहा कि इस पर पूरी तरह से प्रदेश में अमल हो। इसमें उठाये गये बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र भेज दिया जाये।

26/12 कम्प्यूटर अवेयरनेस पाठ्यक्रम (सी.आई.सी.) के नार्मस बाबत जारी कार्यालय आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

अनुमोदित किया।

26/13 सी.आई.सी. पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की अनुशंषाएं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् में अनुशंषाएं अनुमोदित की गईं।

26/14 विज्ञान एवं तकनीकी विद्यापीठ के बोर्ड की दिनांक 31-1-2003 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सभी बिन्दुओं का अवलोकन किया गया किन्तु इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बी.सी.ए. कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के बारे में चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को लागू किये जाने के लिए पूरा प्रस्ताव तैयार करे तथा इस के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निदान करें। इस सम्बन्ध में इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम में राजस्थान में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? और इनकी ड्रॉप आउट दर क्या है। इसकी जानकारी प्राप्त कर पुनः विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करें।

26/15 डी.सी.ओ. पाठ्यक्रम के अपग्रेड करने बाबत् प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

डी.सी.ओ. पाठ्यक्रम को रिवाईज करने व अपग्रेड करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यह सुझाव दिया कि कम्प्यूटर शिक्षा के दो-तीन प्रश्न-पत्र वर्तमान डी.सी.ओ. पाठ्यक्रम को मिलाकर इसे पी.जी. डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम तैयार किया जाये।

26/16 सतत् शिक्षा विद्यापीठ के बोर्ड की बैठक दिनांक 11-1-2003 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

-----

बोर्ड की सिफारिशों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया। किन्तु बिन्दु संख्या 8 के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व के जारी आदेश यथावत रहेंगे और उसी के अनुसार कार्य होगा।

बिन्दु संख्या 2 के बारे में डॉ. एच.बी. नन्दवाना ने यह बताया कि सतत् शिक्षा विद्यापीठ बोर्ड की बैठक में पाठ्यक्रम निर्माण समिति के अंकन में त्रुटि है।

डॉ. दिनेश गुप्ता ने अपना इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया और विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जब विभाग एम.लिब पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए एक मत है तो विद्या परिषद् के समक्ष पाठ्यक्रम निर्माण समिति के नामों में पुनःविचार कर प्रस्तुत किया जावे। यह भी तय किया गया कि राज ऋषि टंडन खुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा यह पाठ्यक्रम हिन्दी में संचालित है अतः समय बचाने हेतु उनके पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों के चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के अनुसार उसका आंकलन कर पाठ्यक्रम चलाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाय। माननीय कुलपति महोदय ने एम.लिब. के एक एक्सपर्ट के नाम का सुझाव देने की इच्छा जाहिर की। जिसे माननीय सदस्यों ने स्वीकार कर लिया।

26/17 बी.लिब. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित निर्णय एवं काउन्सलर्स ट्यूटर्स की योग्यता, काउन्सलिंग सेशन की संख्या, सम्पर्क शिविर, कम्प्यूटर ट्रेनिंग निर्धारण बाबत् गठित समिति की अनुशंसाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

-----

बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया।

26/18 के प्रस्तावों की बिन्दु संख्या 26/16 में विचार विमर्श हेतु सम्मिलित किया गया।

26/19 काउन्सलिंग सत्र की अवधि एवं मानदेय निर्धारित करने बाबत गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि उन्होंने निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं की हैसियत से इस समिति की अनुशंषाओं (परिशिष्ट-20) पर कुछ आपत्तियाँ लगाकर विश्वविद्यालय को दी थी । समिति की अनुशंषाओं को लागू किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इस के लिए इस से पूर्व हमें अपने प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। काउन्सलरों का जो मानदेय प्रस्तावित किया गया है पूर्व में निर्धारित दरों से भी कम कर दिया गया है। एक प्रस्ताव निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं द्वारा अलग से तैयार कर पूर्व में दिया गया था जिस पर पूर्व में विद्या परिषद् में विचार हुआ था। विद्या परिषद् ने निम्न समिति का गठन किया जो दोनों प्रस्तावों का अध्ययन कर अपनी अभिशंषाएं देगी जिसे विश्वविद्यालय में लागू किया जावेगा तथा आगामी विद्या परिषद् में रिपोर्ट किया जावेगा। प्रस्तावित समिति इस प्रकार रहेगी :-

निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएं) अध्यक्ष, प्रो. पी.के. शर्मा, डॉ. एस.एन. अम्बेडकर एवं डॉ. जे.के. शर्मा सदस्य होंगे।

26/20 अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रवेश आवेदन-पत्रों को रु. 100/- विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने बाबत समिति की अनुशंषाएं अनुमोदनार्थ।

विलम्ब तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए गठित समिति की अभिशंषाएं स्वीकार की गईं किन्तु यह स्पष्ट किया गया कि यह प्रावधान उन पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिये जाते हैं जैसे बी.एड., एम.बी.ए. आदि।

26/21 बी.ए.पी./बी.सी.पी. पाठ्यक्रम सत्र 1998 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश नियमित करने बाबत समिति की अनुशंषाएं अनुमोदनार्थ ।

समिति की अभिशंषाओं को अनुमोदित किया गया।

26/22 विद्या परिषद् में विश्वविद्यालय से बाहर के तीन शिक्षाविदों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव ।

विद्या परिषद् में विश्वविद्यालय से बाहर के तीन शिक्षाविदों की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

26/23 प्रबन्ध पाठ्यक्रम में पुनःप्रवेश सम्बन्धी समिति के निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रो. पी.के. शर्मा, प्रबन्ध विभाग के अनुसार इस विषय पर विद्या परिषद् में विचार किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण परीक्षा नियन्त्रक को पूर्व में ही दिया जा चुका है और पुनःप्रवेश प्रक्रिया लागू हो चुकी है। विद्या परिषद् द्वारा प्रो. शर्मा के कथन पर सहमति प्रकट की गई।

26/24 ई.डी.पी. पाठ्यक्रम की सी.डी.सी. बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया ।

26/25 प्रबन्ध पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने बाबत गठित समिति की अनुशंषाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रो. पी.के. शर्मा (प्रबन्ध) ने बताया कि समिति की सभी अभिशंषाएं पूर्व से ही विश्वविद्यालय में प्रचलित है। अतः अनुशंषाएं अनुमोदित की गयी।

26/26 समकक्षता समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ ।

डॉ. दिनेश गुप्ता ने बताया कि समकक्षता समिति की संलग्न सिफारिशों में आईटम नं. 3 पर निर्णय काफी लम्बे समय से नहीं हो रहा है और समकक्षता समिति की बैठकें बहुत विलम्ब से होती हैं इसलिए निर्णयों में बहुत देर हो जाती है। उन्होंने यह चाहा कि विद्या परिषद् में ही कोई निर्णय लिया

जावें। समकक्षता समिति की बैठक एक निश्चित अन्तराल के बाद होनी चाहिए, ऐसा सभी सदस्यों का विचार था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने डॉ. दिनेश गुप्ता को यह सुझाव दिया कि समकक्षता समिति की बैठक के आईटम नं. 3 के अनुसार उन सभी दस्तावेजों को समकक्षता समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत करें और समिति से 15-20 दिन में निर्णय करने हेतु अनुरोध करें। यदि समिति फिर भी इस पर निर्णय नहीं ले पाती है तो इस पर माननीय कुलपति महोदय निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

26/27 सैनिक सेवा के दौरान प्राप्त अनुभव एवं प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने हेतु निर्धारित योग्यता के समकक्ष माने जाने बाबत ए.आई.यू. के सचिव का पत्र अवलोकनार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं।

-----

ए.आई.यू. के निर्देशानुसार प्रवेश विभाग द्वारा निर्णय लेकर कार्यवाही की जावे।

26/28 गुजरात भूकम्प विषय पर रिसर्च करवाने बाबत राजभवन सचिवालय से प्राप्त गुजरात के मुख्यमंत्री का पत्र अवलोकनार्थ एवं निर्णय हेतु।

-----

अध्यापक गण गुजरात भूकम्प पर शोध करने के लिए तैयार है लेकिन गुजरात सरकार द्वारा इस के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

सप्लीमेन्ट्री ऐजेन्डा

26/29(ii) पुराने प्रश्न-पत्रों के विक्रय से सम्बन्धित प्रस्ताव।

-----

परीक्षा विभाग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

26/29(ii) विश्वविद्यालय के बाहर के शिक्षकों से आंतरिक मुल्यांकन के प्रश्न-पत्र लिखवाने हेतु दिये जाने वाले मानदेय निर्धारित करने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

जिस किसी पाठ्यक्रम में अध्यापक उपलब्ध नहीं है उन के आंतरिक मुल्यांकन को तैयार करने वाले वाले सदस्य को उस पाठ्यक्रम के पेपर सेटिंग के लिए परीक्षा विभाग द्वारा तय दरों पर भुगतान किया जावे।

26/29(iii) शोध मण्डल की बैठक दिनांक 15-6-02 एवं 28-12-02 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सदस्यों ने ऐसा मत व्यक्त किया कि नये नियम पुराने छात्रों पर बिना उनकी सहमति के लागू नहीं किये जा सकते हैं इस से अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होगी। अतः इस बिन्दु पर पुनः विचार आवश्यक है।

माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि वित्त समिति की बैठक में भी विचार विमर्श के लिए रखा गया था। रिसर्च बोर्ड के 15-6-2002 के निर्णय संख्या 9 के क्रम में उस में यह स्वीकार किया गया कि जिस किसी अध्यापक के साथ विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी पंजिकृत छात्र होंगे उन के लिए यदि सुपरवाईजर Viva-voce के लिए यहाँ आता है तो उन्हें राजकीय यात्रा मानकर नियमानुसार टी.ए/डी.ए. का भुगतान कर दिया जावे।

दिनांक 15-6-2002 के निर्णय संख्या 16 के सन्दर्भ में पुनः चर्चा हुई जिस पर माननीय सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि प्रो. पी.के. शर्मा टाईपिंग त्रुटि के बारे में समस्त दस्तावेजों को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। अध्ययन के बाद उचित निर्णय लिया जावेगा। इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

शेष भाग का अनुमोदन किया गया।

26/29(iv) दिनांक 9-6-02 को आयोजित पर्यटन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की अनुशंषाए अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सभी सदस्यों ने विचार विमर्श के बाद यह पाया कि पाठ्यक्रम निर्माण समिति की अभिशंषाएं अस्पष्ट है।



दिनांक 9-6-2002 के कार्यवाही विवरण के आईटम नं. 2 में पाठ्यक्रम का नाम "सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्यूरिज्म" कहा गया है जबकि दूसरे ही वाक्य में इस का नाम "सर्टिफिकेट कोर्स इन कल्चर एण्ड ट्यूरिज्म" बताया गया है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण समिति से यह स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस पाठ्यक्रम का सही नाम क्या है।

विद्यापीठों को आवंटित पाठ्यक्रमों के अनुसार यह ट्यूरिज्म के पाठ्यक्रम स्कूल ऑफ कोमर्स एण्ड मेनेजमेन्ट को आवंटित है तो यह पाठ्यक्रम किस प्रकार किसी अन्य विद्यापीठ में विकसित किया जा रहा है।

सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर एक समिति गठित की जाये जो इस प्रकरण पर विचार कर कुलपति महोदय को समस्त तथ्यों से अवगत करवाये। समिति में डॉ. कमलेश शर्मा (इतिहास विभाग) एवं डॉ. आर. के. जैन (प्रबन्ध विभाग) का नाम तय किया गया।

26/5(v) वाणिज्य पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की अनुशंषाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

वाणिज्य पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम निर्माण समिति के विवरण का अवलोकन किया गया। अनुशंषाएं अनुमोदित की गईं।

माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों को धैर्य पूर्वक और गहन विचार विमर्श करने हेतु धन्यवाद दिया।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्या परिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव  
एवं सदस्य सचिव,  
विद्या परिषद

कमल

अनुमानित रूप से (10/11/2002)  
वर्धमान नगरपालिका, विद्यापीठ  
कोटा